प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

लोक लेखा समिति
(2022-23)

उनसठवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

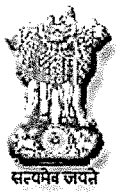

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2288

उनसठवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

14-12-2022 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*

14-12-2022 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।*

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

प्राक्कथन .....

अध्याय-एक .....

प्रतिवेदन .....

अध्याय-दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....

अध्याय-तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....

अध्याय-चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....

अध्याय-पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं/कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किये हैं.....

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2022-23) की दिनांक 5 दिसंबर, 2022 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
22. रिक्त *

सचिवालय

1.	श्री टी.जी. चन्द्रशेखर	-	अपर सचिव
2.	श्रीमती भारती एस. टुटेजा	-	निदेशक
3.	श्री गिरधारी लाल	-	उप सचिव
4.	सुश्री प्रज्ञा नामा	-	सहा. समिति अधिकारी

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी 21 जून, 2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित **"प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन"** विषयक लोक लेखा समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह उनसठवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. इकतीसवां प्रतिवेदन 15 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए थे। लोक लेखा समिति ने दिनांक 05.12.2022 को हुई अपनी बैठक में उनसठवें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट – एक में दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की भी सराहना करती है।

5. इकतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण *परिशिष्ट – दो* में दिया गया है।

नई दिल्ली;

7 दिसंबर, 2022

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अध्याय -एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) से संबंधित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन" विषयक समिति के अपने इकतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है।

2. समिति का यह इकतीसवां प्रतिवेदन लोक सभा/राज्य सभा में दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत किया गया। इसमें ग्यारह टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है:

पैरा सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11

कुल: 11

अध्याय - दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

शून्य

कुल: शून्य

अध्याय - तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किये गए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

शून्य

कुल: शून्य

अध्याय - चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं/कोई उत्तर नहीं दिए है:

शून्य

कुल: शून्य

अध्याय-पांच

3. समिति द्वारा विषय की विस्तृत जांच से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से हुई कुछ कमियों/खामियों का पता चला था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक

मार्जिन मनी (एमएम) के जारी होने, संपूर्ण परियोजना ऋण पर ब्याज लगाए जाने और अतिरिक्त एमएम प्रभारित करने, पीवी के संचालन में बड़ा बैकलॉग होने, ऋण मंजूरी की धीमी गति और ऋण मंजूर करने तथा ब्याज को लेकर बैंक के स्वनिर्णय आदि शामिल थे। तदनुसार, समिति ने अपने इकतीसवें प्रतिवेदन में अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट प्रत्येक टिप्पणियों /सिफारिशों के संबंध में प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के संबंधित अध्यायों में पुनः प्रस्तुत किया गया है। समिति अब अपनी कुछ उन टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें या तो दोहराए जाने या जिन पर मेरिट के आधार पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

5. **समिति चाहती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को अवश्य प्रस्तुत करें।**

<u>क. कुल परियोजना ऋण पर ब्याज लगाना और अतिरिक्त मार्जिन मनी (एमएम) पर प्रभार लगाना:</u>

<u>(टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 3)</u>

6. *समिति ने नोट किया कि बैंकों ने मार्जिन मनी सहित कुल ऋण राशि पर ब्याज लगाया था, जिससे लाभार्थी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और सब्सिडी की प्रकृति ही ऋण में बदल गई । समिति लेखापरीक्षा संबंधी अवलोकन के संबंध में मंत्रालय के जवाब से आगे यह भी नोट करती है कि चूंकि मार्जिन मनी नोडल बैंक के पास रखी गई थी, इसलिए वित्तीय बैंक ने कुछ मामलों में मार्जिन मनी पर ब्याज लगाया था, लेकिन नोडल बैंक से मार्जिन मनी प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों को लाभ देने के लिए प्रविष्टि को पिछली तारीख से उलटा कर दिया गया। समिति पाती है कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित अधिकांश मामलों में, केवीआईसी को राशि वापस कर दी गई है, देना बैंक से संबंधित 05 मामलों और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 04 मामलों का अभी भी निपटान नहीं किया गया है। समिति चाहती है कि इन मामलों पर मंत्रालय/डीएफएस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाए और प्रविष्टियों को बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। समिति मंत्रालय के उत्तर से आगे यह नोट करती है कि मौजूदा*

ऑनलाइन प्रणाली में ऐसे उल्लंघनों को रोकने का प्रावधान है, क्योंकि सिस्टम स्वीकृत ऋण और स्वीकार्य सब्सिडी राशि कैप्चर करता है। तथापि, डीएफएस ने यह बताते हुए इस पर अपनी आशंका व्यक्त की है कि केवीआईसी द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे उल्लंघनों को पता लगाने की सुविधा नहीं है। समिति चाहती है कि केवीआईसी, डीएफएस/बैंकों के समन्वय से यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी मजबूत प्रणाली विकसित करें कि अधिक ब्याज वसूल करने की ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। समिति आगे पीएमईजीपी पोर्टल पर ब्याज कैलकुलेटर विकसित और उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताती है, ताकि लाभार्थी स्वयं अपनी ब्याज देयता की गणना करने में सक्षम हो सके।

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:-

"देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मामले पहले ही निपटाए जा चुके हैं। वसूल की गई और केवीआईसी को वापस की गई राशि का विवरण अनुबंध– दो में दिया गया है।

पीएमईजीपी योजना के दिशानिर्देश और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रावधानों के अनुसार, संबंधित वित्तीय बैंक शाखाओं को उपयुक्त कॉलम में टीडीआर की स्थिति अपलोड करनी होगी। डीएफएस से यह भी अनुरोध किया गया है कि टीडीआर का समय पर सृजन के संबंध में बैंकों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

पोर्टल में वित्त प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा जारी किस्तों की तारीख, प्रभारित ब्याज दर, सब्सिडी प्राप्त होने की तारीख और टीडीआर सृजन करने की तारीख को शामिल करने का भी प्रावधान है। इन विवरणों की उपलब्धता लाभार्थियों को यह जांचने में सक्षम बना सकती है कि बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त ब्याज तो नहीं लिया जा रहा है और ऋण खाते के अंतिम समायोजन के समय किसी भी उल्लंघन में सुधार किया जा सकता है।

केवीआईसी से यह भी अनुरोध किया गया है कि बैंक में ब्याज कैलकुलेटर बनाया जाए, ताकि लाभार्थियों को उनके द्वारा देय ब्याज के बारे में पता चल सके।"

8. उक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पण के पुनरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित

टिप्पणियाँ की गईं:-

(एक) तथ्यात्मक स्थिति।

(दो) एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार सावधि जमा रसीद (टीडीआर) की स्थिति को अपलोड करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में प्रावधान है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी मामलें में स्थिति संबंधी जानकारी अपलोड नहीं की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकृत 35 मामलों (सांगली-महाराष्ट्र) की तुलना में केवल दो मामलें संबंधी टीडीआर अपलोड किए गए हैं। अतः टीडीआर अपलोड करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

(तीन) लेखापरीक्षा ने पीएमईजीपी के ई-पोर्टल का सत्यापन किया और यह नोट किया कि पोर्टल में बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर और भुगतान की गई दूसरी किस्त को भी दर्ज करने का प्रावधान नहीं है।

(चार) पीएमईजीपी के ई-पोर्टल में पायी गई अन्य कमियाँ जैसे-पीएमईजीपी लाभार्थी द्वारा बैंकों को ऋण चुकाने और पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों में संबंधित एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के दौरे के विवरण को शामिल नहीं किया जाना है।

(पाँच) केवीआईसी से लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित किया है कि ब्याज कैलकुलेटर बनाने के संबंध में मंत्रालय से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(छह) अत्यधिक ब्याज से बचने और पीएसी द्वारा यथा निर्देशित पीएमईजीपी पोर्टल पर ब्याज कैलकुलेटर विकसित और उपलब्ध कराने के लिए डीएफएस/बैंकों के साथ समन्वय में एक मजबूत कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है।

9. उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणी के संबंध में आगे की टिप्पणियों में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया: -

(एक और दो) एक बार वित्तीय बैंक द्वारा मार्जिन मनी प्राप्त हो जाने के बाद, उन्हें टीडीआर खाता खोलना होगा और मैन्युअल रूप से पोर्टल में टीडीआर विवरण अपलोड

करना होगा। तथापि, इस संबंध में वित्तीय बैंकों की प्रतिक्रिया धीमी है। बैंकरों के साथ समीक्षा बैठक में भी इस मामलें पर चर्चा की गई है। मंत्रालय बैंकों के सीएमडी को भी पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि वे वित्तपोषण शाखाओं को पोर्टल पर टीडीआर विवरण शीघ्रता से अपलोड करने का निर्देश दें।

(तीन) बैंक द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर और भुगतान की गई किस्त को दर्ज करने का उपकरण पीएमईजीपी पोर्टल के बैंकर लॉग इन सेगमेंट में दिया गया है। (स्क्रीन शॉट्स संलग्न है)

(चार) ऋणों के पुनर्भुगतान का विवरण प्रत्येक बैंक की आंतरिक प्रणाली में उपलब्ध है। पीएमईजीपी ई-पोर्टल के साथ प्रत्येक बैंक की आंतरिक प्रणाली को एकीकृत करना मुश्किल होगा। सभी इकाइयों की जियो-टैगिंग शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों का दौरा करने वाले अधिकारियों के दौरे की तारीख इकाइयों की स्थिति के साथ दर्ज की जाएगी।

(पाँच) मंत्रालय ने दिनांक 23.08.2021 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ केवीआईसी से बैंकों के परामर्श से ब्याज कैलकुलेटर को शामिल करते हुए पोर्टल को अद्यतन करने का अनुरोध किया है।

(छह) आवेदकों के लाभ के लिए ब्याज/ईएमआई गणना के उपकरण को अब पीएमईजीपी पोर्टल में शामिल किया गया है।

10. समिति ने इस तथ्य को नोट किया था कि बैंक मार्जिन मनी सहित पूरी ऋण राशि पर ब्याज लगा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और सब्सिडी की प्रकृति ऋण में बदल रही है। समिति ने यह भी पाया था कि केवीआईसी द्वारा विकसित वर्तमान ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे उल्लंघनों का पता लगाने की सुविधा नहीं है और इसलिए, सिफारिश की थी कि केवीआईसी को डीएफएस/बैंकों के समन्वय से एक मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त ब्याज वसूलने की ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया है कि पीएमईजीपी योजना के दिशा-निर्देशों और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रावधानों के अनुसार, संबंधित वित्तपोषण बैंक शाखाओं को उपयुक्त कॉलम में टीडीआर की

स्थिति अपलोड करनी होगी। पोर्टल में वित्त प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा जारी किस्तों की तारीख, प्रभारित ब्याज दर, सब्सिडी प्राप्त होने की तारीख और टीडीआर सृजन करने की तारीख को शामिल करने का भी प्रावधान है। मंत्रालय ने आगे यह भी बताया है कि विवरण लाभार्थियों को यह जांचने में सक्षम बना सकता है कि क्या बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त ब्याज लिया जा रहा है और ऋण खाते के अंतिम समायोजन के समय किसी भी उल्लंघन में सुधार किया जा सकता है । हालांकि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर प्रासंगिक कॉलम में अद्यतन जानकारी अपलोड करने की प्रणाली अभी तक स्थापित नहीं की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकृत 35 मामलों (सांगली-महाराष्ट्र) की तुलना में केवल दो मामलें संबंधी टीडीआर अपलोड किए गए हैं और मंत्रालय पोर्टल पर टीडीआर विवरण अपलोड करने के मामले को संबंधित बैंकों के साथ शीघ्र उठाएगा । समिति का यह मानना है कि उल्लंघन का तब तक पता नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसलिए समिति ने अतिरिक्त ब्याज लगाए जाने से बचने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराते हुए यह इच्छा व्यक्त करती है कि पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर संबंधित कॉलम में अद्यतन जानकारी अपलोड करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि लाभार्थी यह जांच सकें कि क्या बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त ब्याज वसूला जा रहा है और ऋण खाते के अंतिम समायोजन के समय किसी भी प्रकार के उल्लंघन को ठीक किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय बैंकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित डाटा अपलोड करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे और जहां भी सूचना समय पर नहीं भरी जाती है, वहां पोर्टल पर अलर्ट जारी करने का प्रावधान करे। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई वास्तविक कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।

<u>ख. परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन (पीवी):</u>

<u>(टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 4)</u>

11. समिति ने नोट किया कि पीएमईजीपी के अंतर्गत वितपोषित इकाइयों का भौतिक सत्यापन (पीवी) तीन वर्ष पूरे होने से पहले देय हो जाता है और केवीआईसी को आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से संचालित परियोजनाओं का पीवी प्राप्त करना होता है । हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पीवी के संचालन में एक बड़ा बैकलॉग था,जिसके लिए अशांत क्षेत्र, एजेंसी के परिवर्तन और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निविदा के लिए खराब प्रतिक्रिया जैसे कारक जिम्मेदार थे । समिति मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि

2008-09 से 2014-15 तक स्थापित कुल 3,20,828 इकाइयों के मुकाबले 2,95,877 (92% से अधिक) इकाइयों का भौतिक सत्यापन आउटसोर्स की गई थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया गया है। वर्ष 2015-16 में कुल 44,340 इकाइयों में से 22 राज्यों की 19,680 इकाइयों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के लिए, 7 राज्यों की 11,807 इकाइयों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। समिति यह जानकर निराश है कि दिसंबर 2017 में आयोजित पीएसी की बैठक के दौरान की गई वचनबद्धता के अनुसार, मंत्रालय 2013-14 तक सभी इकाइयों की स्थापना नहीं कर पाया, जिसका जून 2018 में भौतिक सत्यापन किया गया था । समिति मंत्रालय के उत्तर से आगे यह नोट करती है कि आउटसोर्स की गई एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि औसतन लगभग 80% पीएमईजीपी इकाइयां काम कर रही थीं और शेष या तो बंद थीं या पंजीकृत स्थान पर मौजूद नहीं पाई गईं। समिति का विचार है कि पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रवर्तित परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता का आकलन समय पर भौतिक सत्यापन करके ही किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मार्जिन मनी को वापस मांगे जाने (कॉल बैक) के समक्ष वसूली सुनिश्चित करने और ट्रैक करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं था। मंत्रालय/केवीआईसी के ढुलमुल रवैये,क्योंकि उन्होंने इकाइयों के भौतिक सत्यापन के संचालन में भारी बैकलॉग की अनुमति दी, पर निराशा व्यक्त करते समय, समिति का मानना है कि समय पर कार्य से मंत्रालय/केवीआईसी को मार्जिन मनी फंड के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती और साथ ही उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए गैर-कार्यात्मक इकाइयों के इतने उच्च अनुपात के कारणों का विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी। समिति उन मामलों में वितरित मार्जिन मनी की वसूली सुनिश्चित करने और ट्रैक करने के लिए स्थापित प्रणाली से भी अवगत होना चाहती है, जहां इकाइयां गैर-कार्यात्मक पाई गईं, जिसमें इस प्रकार वसूल की गई राशि और वितरित की गई तथा अभी तक वसूल नहीं की गई मार्जिन राशि का विवरण भी हो। समिति ने आगे नोट किया कि लाभार्थी के नाम पर टीडीआर खाते में मार्जिन मनी जमा की जाती है, जहां इसे 3 वर्ष के लिए रखा जाता है और भौतिक सत्यापन के पूरा होने के पश्चात, इसे लाभार्थी के खाते में जारी किया जाता है।इसलिए, समिति का मत है कि किसी भी परिस्थिति में भौतिक सत्यापन में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका लाभार्थी के ऋण खाते में वास्तविक जारी एमएम से सीधा संबंध है।समिति अनुशंसा करती है कि सभी शेष भौतिक सत्यापन को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और किसी भी देरी के मामले में भौतिक सत्यापन के संचालन के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।समिति इस बात से भी अवगत

होना चाहती है कि बैंकों ने उन लाभार्थियों के ऋण खातों के साथ क्या किया है, जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपने ऋण का भुगतान किया है, लेकिन भौतिक सत्यापन में देरी के कारण, उनकी मार्जिन मनी जारी नहीं की जा सकी।समिति नोट करती है कि भौतिक सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, गतिविधि को पीएमईजीपी निदेशालय के अंतर्गत केंद्रीकृत किया जा रहा है और केवीआईसी मुख्यालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालिक आधार पर एजेंसियों को नियुक्त करेगा।इसके अतिरिक्त, इकाइयों की पहचान और निगरानी के लिए पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग भी की जा रही है।समिति ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकार करते हुए महसूस किया कि किसी उद्यम की वित्तीय सुदृढ़ता को नियमित रूप से सत्यापित करने के लिए, केवीआईसी बैंकों के साथ गठजोड़ कर सकता है ताकि योजना के अंतर्गत प्रचारित परियोजना की स्थिरता का अंदाजा लगाने के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के संदर्भ में पीएमईजीपी परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर उनकी आवधिक यात्राओं के लिए उनके पोर्ट तक पहुंच प्राप्त हो सके। समिति का यह भी मत है कि पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रवर्तित परियोजनाओं की लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, उनके कार्य प्रदर्शन की निगरानी तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी की जाए। इससे संकटग्रस्त इकाइयों को समय पर सहायता मिलने और उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार करने तथा मंत्रालय को इकाइयों पर नज़र रखने; योजना के प्रभाव का आकलन करने; और अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के विस्तार को सक्षम करने के लिए योजना में और सुधार करने में मदद मिल सकती है।

12. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों में निम्नवत बताया है:

> "भौतिक सत्यापन के लंबित मामलों को कम करने के लिए, केवीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ भौतिक सत्यापन करने में प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। वर्ष 2015-16 तक स्थापित 370853 इकाइयों में से 323764 इकाइयों (87.30%) का सत्यापन किया जा चुका है, और 47089 इकाइयों का सत्यापन (12.69%) किया जाना शेष है। कोविड-19 महामारी के कारण लंबित इकाइयों के सत्यापन में देरी हुई है।
>
> इकाइयों के भौतिक सत्यापन में तीव्रता लाने के लिए केवीआईसी ने पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया है। केवीआईसी ने 1 अप्रैल 2016 से वित्त पोषित पीएमईजीपी

इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से ही एक आउटसोर्स एजेंसी को नियुक्त किया है। चयनित पीवी एजेंसी ने पहले ही भौतिक सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है।

दिनांक 01.04.2016 से स्थापित सभी इकाइयों के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जाती है और इसका भौतिक सत्यापन विशिष्ट जीआईएस आधारित मोबाइल ऐप के डिजिटल मोड के माध्यम से किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए जियो-पोर्टल पर परिणाम को अधिग्रहित किया जाएगा। अब तक, डिजिटल मोड के माध्यम से 5500 भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। पीएमईजीपी पोर्टल पर इन इकाइयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की उपलब्धता से गैर-कार्यरत इकाइयों की पहचान और तदनुरूप मार्जिन मनी के कॉल बैक में सुविधा होगी।

वर्ष 2012-13 से 2020-21 के दौरान विभिन्न वित्तीय बैंकों से एमएम कॉल-बैक के रूप में रु. 336.30 करोड़ केवीआईसी द्वारा प्राप्त किया गया है। (वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट -तीन में संलग्न है।

तकनीकी विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ (सेवानिवृत्त बैंकर) और विपणन विशेषज्ञ पीएमईजीपी इकाइयों को उनकी स्थापना के तीन वर्ष पश्चात भी नियमित रूप से सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किए गए हैं।

केवीआईसी से नियमित अंतराल पर इकाइयों की भौतिक और वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए बैंकों के साथ समन्वय करने का भी अनुरोध किया गया है।

13. उपर्युक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पणों की जांच करते समय लेखापरीक्षा ने निम्नवत टिप्पणियां कीं:-

एक. लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि यद्यपि पीएमईजीपी के ई-पोर्टल में भौतिक सत्यापन की स्थिति के लिए एक कॉलम है, परंतु इसे नियमित अंतराल पर अद्यतन नहीं किया जाता है और कॉलम रिक्त रहता है एवं इसलिए भौतिक सत्यापन की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है।

दो. इसके अतिरिक्त ई पोर्टल में पीवी आयोजित करने की तिथि और पीवी स्थिति के बारे में कॉलम हैं, लेकिन इसे अपडेट नहीं किया गया है। पीवी रिपोर्ट को पीएमईजीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना बाकी है।

तीन. 01.04.2016 से स्थापित सभी इकाइयों का भौतिक सत्यापन एक विशेष

जीआईएस-आधारित मोबाइल ऐप के डिजिटल मोड के माध्यम से किया जा रहा है। केवीआईसी ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की 134883 इकाइयों को सत्यापित करने के लिए मैसर्स जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आशय पत्र (1 मार्च 2021) जारी किया था। 07.10.2021 तक कुल 26847 इकाइयों का मैसर्स जेनेसिस द्वारा सत्यापन किया जा चुका है और 108036 इकाइयों का सत्यापन अभी बाकी है।

चार. मंत्रालय ने वित्तीय बैंकों से प्राप्त मार्जिन मनी कॉल बैक का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया है। तथापि, पीएसी द्वारा वांछित अनुसार अभी तक वसूल की जाने वाली राशि का वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पाँच. लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि केवीआईसी ने तकनीकी, वित्तीय और विपणन विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2020), परंतु इस कदम को अभी पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर उन पीएमईजीपी इकाइयों का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है जिनके कार्य प्रदर्शन की निगरानी तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के पश्चात की गई थी।

छह. उत्तर उन मामलों में बैंकों द्वारा ऋण खातों के व्यवहार के बारे में स्थिति नहीं बताता है जहां लाभार्थियों ने निर्धारित समय के भीतर अपने ऋण का भुगतान किया है, लेकिन भौतिक सत्यापन में देरी के कारण, पीएसी द्वारा वांछित के रूप में उनकी मार्जिन मनी जारी नहीं की जा सकी।

14. उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर आगे की टिप्पणियों में मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा है:-

एक. पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर, भौतिक सत्यापन का कॉलम अब सक्रिय हो गया है जो प्रत्येक चरण अर्थात भौतिक सत्यापन (पीवी) (पूर्ण/लंबित) के लिए आवंटित इकाइयों की कुल संख्या, इकाइयों (कार्यशील/गैर-कार्यशील/गैर-पता लगाने योग्य)की वर्तमान स्थिति, विभिन्न स्तर (स्तर-1/स्तर-2) पर अनुमोदित पीवी रिपोर्ट की स्थिति, कार्यान्वयन एजेंसी स्तर(केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/कॉयर बोर्ड) पर स्थिति, बैंक स्तर (समायोजन/कॉल बैक)पर एमएम की स्थिति पर एक इकाई का पूरा विवरण दर्शा रहा है।

दो. पोर्टल पर पीवी की तिथि का प्रावधान शामिल किया गया है और कार्यान्वयन एजेंसी स्तर,साथ ही अनुमोदन स्तरपर भौतिक सत्यापन की स्थिति ई-पोर्टल

में उपलब्ध है। केवीआईसी को पोर्टल पर अपेक्षित विवरण अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

तीन. मेसर्स जेनेसिस द्वारा पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग/मैपिंग की जा रही है। आज की तिथि के अनुसार, 54069 इकाइयों को पहले ही सत्यापित और पोर्टल पर मैप की जा चुकी है। प्रक्रिया जारी है, 2016-17 से सहायता प्राप्त सभी पीएमईजीपी इकाइयों को जियो-टैग किया जाएगा। केवीआईसी को जिओ-टैगिंग के माध्यम से लंबित पीवी को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

चार. विभिन्न वित्तीय बैंकों से एमएम कॉल बैक का विवरण एक ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो विशेष रूप से मनीकॉलबैक/रिटर्न बैक एमएम के लिए शुरू किया गया है। वित्तीय बैंकों सेकेवीआईसी द्वारा प्राप्त कॉल बैक एमएम का वर्ष-वार समेकित विवरण परिशिष्ट –पांच में दिया गया है।

पाँच. तकनीकी, वित्तीय और विपणन विशेषज्ञों का उद्देश्य संभावित लाभार्थियों के साथ-साथ मौजूदा लाभार्थियों कोसहायता प्रदान करना है। उपरोक्त विशेषज्ञों का कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन संबंधित राज्य निदेशक द्वारा जाता है। वर्तमान में, 46 तकनीकी, विपणन, वित्तीय (सेवानिवृत्त बैंकर) विशेषज्ञ 21 राज्यों में कार्यरत हैं। चालू वित्त वर्ष में इन विशेषज्ञों ने लगभग 35180 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। इसमें योजना के अंतर्गत 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए वित्तपोषित 5245 मौजूदा लाभार्थी शामिल हैं।

छह. वर्ष 2016-17 से पहले सहायता प्राप्त इकाइयों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग पूरी कर ली गई है और मार्जिन मनी सब्सिडी को ऋण खातों में समायोजित कर दिया गया है। तथापि, 2015-16 तक स्थापित लगभग 30,000 इकाइयों का भौतिक सत्यापन अभी किया जाना है। ये या तो बंद हो गए हैं या इनका स्थान परिवर्तित हो गया है। इन इकाइयों की पहचान करने के लिए बैंकों के परामर्श से प्रयास किए जा रहे हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन इकाइयों के संबंध में जो स्थापित नहीं है, बैंकों में उपलब्ध एमएम सब्सिडी को वापस लिया जा रहा है।

15. आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से पीएमईजीपी के तहत वित्तपोषित इकाइयों के भौतिक सत्यापन के संचालन में भारी बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए, जो तीन साल पूरा होने से पहले देय हो जाता है, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि देय सभी भौतिक सत्यापन को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और किसी भी देरी के मामले में भौतिक सत्यापन के संचालन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि यह सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में एमएम की वास्तविक रिलीज़ से जुड़ा हुआ है । समिति ने यह भी जानना चाहा था कि बैंकों ने उन लाभार्थियों के ऋण खातों के साथ कैसा व्यवहार किया है, जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपना ऋण चुका दिया है, लेकिन भौतिक सत्यापन में देरी के कारण उनका मार्जिन मनी जारी नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने अपने की-गई-कारवाई उत्तर में बताया है कि वर्ष 2016-17 से पहले सहायता प्रदान की गई इकाइयों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पूरी हो चुकी है और मार्जिन मनी सब्सिडी को ऋण खातों में समायोजित कर दिया गया है। हालांकि, 2015-16 तक स्थापित लगभग 30,000 इकाइयों को अभी भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना बाकी है। ये या तो बंद हो चुके हैं या इनके स्थान बदल चुके हैं। मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि इन इकाइयों की पहचान करने के लिए बैंकों के परामर्श से प्रयास किए जा रहे हैं और उन इकाइयों के संबंध में जिनके स्थान निर्धारित नहीं किए गए, जहां कहीं भी बैंकों के पास एमएम सब्सिडी पड़ी हुई है, उन्हें वापस लिया जा रहा है। समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और चाहती है कि 2015-16 तक स्थापित इकाइयों की भौतिक सत्यापन निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित करने में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। समिति आगे यह भी नोट करती है कि इकाइयों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के लिए, केवीआईसी ने पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया है। केवीआईसी ने 1 अप्रैल, 2016 से वित्त पोषित पीएमईजीपी इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए एक आउटसोर्स एजेंसी को पहले ही नियुक्त कर दिया है। चयनित भौतिक सत्यापन एजेंसी ने विशेष जीआईएस आधारित मोबाइल ऐप के डिजिटल मोड के माध्यम से भौतिक सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है और 54069 इकाइयों का सत्यापन किया जा चुका है और पोर्टल पर इनका मानचित्रण किया गया है। समिति चाहती है कि डिजिटल मोड के माध्यम से सभी पीएमईजीपी इकाइयों के भौतिक सत्यापन की वर्तमान व्यवस्था और पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर अन्य आवश्यक कॉलम के साथ अपलोड करने की स्थिति को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा

किया जा सके। जहां तक उन मामलों में बैंकों द्वारा ऋण खातों के प्रतिपादन की स्थिति का संबंध है जहां लाभार्थियों ने निर्धारित समय के भीतर अपना ऋण चुका दिया है लेकिन भौतिक सत्यापन में विलंब के कारण उनकी मार्जिन मनी जारी नहीं किया जा सका है, समिति पाती है कि मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई उत्तर में कुछ नहीं बताया गया है। समिति चाहती है कि पीएमईजीपी योजना के तहत उपलब्ध प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत नोट और ऐसे लाभार्थियों के ऋण खातों के प्रतिपादन के संबंध में मंत्रालय का जवाब जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपना ऋण चुकाया है, इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाए।

<u>ग. ऋण स्वीकृति की धीमी गति तथा ऋण और ब्याज की मंजूरी के लिए बैंकों का निर्णय (टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 5)</u>

16. समिति ने पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक स्वीकृतियों की धीमी गति को नोट किया। इस संबंध में, उन्होने आगे पाया कि वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान बैंक की स्वीकृति धीमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम तिमाही के दौरान स्वीकृतियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और खराब गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को स्वीकृति मिल जाती है और इसके परिणामस्वरूप एनपीए की संख्या में वृद्धि होती है।समिति ने नोट किया कि इस संबंध में आरबीआई के निर्देशों के बावजूद कि बैंकों को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एमएसएमई क्षेत्र में ऋण आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना है, कुछ मामलों में ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में 3-4 महीने तक का समय लगा है। डीएफएस ने अपने जवाब में कहा है कि प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकता और परिस्थितियों के आधार पर ऋण की स्वीकृति में कभी-कभी 30 दिनों से अधिक समय लग सकता है। हालांकि, चूंकि टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में कमी को ईएएसई इंडेक्स पर बैंकों के कार्य प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक पैरामीटर बना दिया गया है और प्रत्येक बैंक में ऋणों की प्रक्रिया और स्वीकृति के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ, टीएटी व्यवस्थित रूप से सुधार कर रहा है और आवेदनों की लंबितता में कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त, आवेदनों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए स्कोर कार्ड दृष्टिकोण के कार्यान्वयन, जैसा कि केवीआईसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने परिपत्र दिनांक 29.7.2020 द्वारा सलाह दी गई थी, से भी टीएटी में भविष्य में सुधार होना चाहिए। डीएफएस ने अपने उत्तर में यह भी प्रस्तुत किया है कि बैंक नियमित आधार पर शाखाओं को प्रचार और व्यापार प्रस्तावों को नियमित रूप से संसाधित

करने, समर्पित केंद्रीकृत क्रेडिट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने, कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय आदि के लिए जागरूक कर रहे हैं। डीएफएस द्वारा लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का संज्ञान लेते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की कि बैंक अक्सर अपनी शाखाओं के कार्यप्रदर्शन की निगरानी करें, विशेष रूप से वर्तमान समय में, क्योंकि पीएमईजीपी के अंतर्गत दी गई सहायता एमएसई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने / बनाए रखने में बड़ी मदद साबित हो सकती है। समिति यह भी चाहती है कि केवीआईसी/ एमओएमएसएमई 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की स्थिति के संबंध में नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करे तथा आवेदक को आवश्यक सहायता और हैंडहोल्डिंग प्रदान करने हेतु बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची के साथ केवीआईसी के ई-पोर्टल पर अपने नोडल अधिकारियों की सूची डाले।

17. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया:

"ऋण स्वीकृति की गति को बढ़ाने के लिए, आवेदनों के चयन में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डीएलटीएफसी) की भूमिका समाप्त कर दी गई है और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के परामर्श से एक स्कोर कार्ड प्रणाली शुरू की गई है।

2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के बावजूद 74415 लाभार्थियों के लिए एमएम की 2188.80 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया जो योजना की शुरुआत के बाद से सर्वोच्च उपलब्धि है। बैंकों ने लगभग 1 लाख आवेदनों को मंजूरी दी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। बैंकों को अग्रेषित आवेदनों की अनुमोदन दर भी 2019-20 में 20% से बढ़कर 2020-21 के दौरान 25% हो गई है।

वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 15.08.2021 तक 22210 इकाइयों के लिए 700.62 करोड़ रुपये की एमएम सब्सिडी वितरित की गई है,जो पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि की तुलना में 110% अधिक है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष में वृद्धि के दौरान स्वीकृतियों को अनुमोदन दिया गया है।

बैंकों के पास लंबे समय से लंबित मामलों को उजागर करने के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया गया है, ताकि ऐसे मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लिए जा सकें। मंत्रालय और केवीआईसी द्वारा बैंकों के

साथ समीक्षा के दौरान विलंबित मामलों की निगरानी भी की जाती है।

मंत्रालय नियमित रूप से बैंकों में लंबित मामलों की स्थिति और आवेदनों को निपटाने में लगने वाले समय की भी समीक्षा कर रहा है। वित्तीय शाखाओं के पीएमईजीपी कार्य प्रदर्शन की निगरानी करने का अनुरोध करते हुए सीएमडी स्तरों पर नियमित पत्र भेजे जा रहें हैं। सचिव (एमएसएमई) द्वारा एक डीओ पत्र जारी किया गया है जिसमें सचिव (डीएफएस) से अनुरोध किया गया है कि वे आरबीआई के दिशानिर्देशों (अनुबंध चार में प्रति) के अनुसार बैंकों को 30 दिनों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेने के लिए जोर डालें। केवीआईसी और बैंकों के नोडल अधिकारियों, जो आवश्यकतानुसार आवेदकों की सहायता कर सकते हैं, की सूची पोर्टल पर डालने हेतु भी केवीआईसी से अनुरोध किया गया है।"

18. उपर्युक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पण की संवीक्षा करते समय लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं -

(एक) पीएमईजीपी के ई-पोर्टल पर कार्य प्रदर्शन स्थिति रिपोर्ट (एमएस रिपोर्ट) दर्शाती है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (23.09.2021 तक) के लिए प्रक्रिया हेतु 53552, 91286 और 78954 आवेदन लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमईजीपी का ऑनलाइन ई पोर्टल लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने, बैंक को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि और ऋण स्वीकृति की तिथि जैसे कॉलम को दर्शाता है। उसमे एक पृथक बैंक टिप्पणी कॉलम है, जिसमें बैंक डेटा प्रस्तुत कर सकता है जैसे कि परियोजना व्यवहार्य नहीं है, क्रेडिट इतिहास उचित नहीं है आदि, परंतु ये विवरण आमतौर पर बैंकों द्वारा नहीं भरे जाते हैं। इस प्रकार, केवीआईसी को इस विलंब का कारण पता होना चाहिए, परंतु इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसलिए इस संबंध में प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

(दो) लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि केवीआईसी ने अभी तक आवेदकों की सहायता के लिए केवीआईसी और बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की है।

19. उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में आगे की टिप्पणियों में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

(एक) "नोट किया गया। पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर, टिप्पणी के अनुसार निर्णय लेने के लिए वित्तीय बैंक हेतु ड्रॉपडाउन सिस्टम में कई टिप्पणियां जोड़ी गई हैं। केवीआईसी और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अस्वीकृति के कारणों की नियमित जांच की जाती है।

(दो) पीएमईजीपी पोर्टल (स्क्रीन शॉट संलग्न) पर संपर्क सूची अनुभाग में प्रत्येक एजेंसी -केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल आईडी) पहले से ही उपलब्ध हैं।"

20. यह देखते हुए कि पीएमईजीपी के अंतर्गत दी गई सहायता एमएसई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने / बनाए रखने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है, समिति चाहती थी कि केवीआईसी / एमओएमएसएमई 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की स्थिति पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करे और आवेदक को आवश्यक सहायता और हैंडहोल्डिंग प्रदान करने के लिए केवीआईसी के ई-पोर्टल पर बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची सहित अपने नोडल अधिकारियों की एक सूची डाले। समिति ने मंत्रालय के की- गई-कार्रवाई उत्तर से नोट किया कि पीएमईजीपी के ई- पोर्टल पर कार्य निष्पादन स्थिति रिपोर्ट (एमआईएस रिपोर्ट) दर्शाती है कि, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (23.09 2021 तक) के लिए प्रक्रिया हेतु 53552, 91286 और 78954 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा, सचिव (एमएसएमई) द्वारा एक डीओ पत्र जारी किया गया है जिसमें सचिव (डीएफएस) से अनुरोध किया गया है कि वे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 30 दिनों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेने के लिए बैंकों पर जोर डालें। केवीआईसी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह पोर्टल पर केवीआईसी और बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची डाले, जो आवश्यकतानुसार आवेदकों की सहायता कर सकें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रक्रिया के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, समिति समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता पर जोर देती है। केवीआईसी के ई-पोर्टल पर केवीआईसी के नोडल अधिकारियों की एक सूची और बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची अपलोड करने की समिति की सिफारिश के संबंध में समिति ने पाया कि मंत्रालय ने एजेंसी -केवीआईसी / केवीआईबी / डीआईसी के केवल संपर्क विवरण

(मोबाइल नं. व ईमेल आईडी) को पीएमईजीपी पोर्टल के संपर्क सूची अनुभाग में डाला है और बैंकों के नोडल अधिकारियों की जानकारी अभी अपलोड की जानी है। इसलिए, समिति चाहती है कि पीएमईजीपी पोर्टल पर संपर्क सूची अनुभाग को बैंकों के नोडल अधिकारियों की आवश्यक जानकारी के साथ विधिवत अपडेट किया जाना चाहिए ताकि आवेदकों को आवश्यक सहायता और हैंडहोल्डिंग उपलब्ध कराई जा सके।

<u>घ. वित्तीय सहायता की दूसरी किश्त</u>
<u>(टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 9)</u>

21. समिति ने नोट किया कि सरकार ने पीएमईजीपी को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) से आगे भी जारी रखने हेतु अनुमोदन करते समय टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रही मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सब्सिडी के साथ दूसरे ऋण को मंजूर करने का प्रावधान किया था। समिति ने नोट किया कि दूसरी मात्रा के लिए प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है क्योंकि 2018-19 में केवल 22 लाभार्थियों ने दूसरा ऋण लिया, जबकि 2019-20 में 139 लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया था । समिति ने मंत्रालय के प्रत्युत्तर से नोट किया है कि जागरूकता की कमी, पहले ऋण का पूरी तरह से भुगतान न किए जाने के कारण दूसरे ऋण हेतु पात्र होने के लिए काफी समय अंतराल एवं दूसरे ऋण पर कम सब्सिडी दूसरे ऋण के कम लाभ के संभावित कारण हैं। समिति ने विचार रखते हुए कि सफल उद्यम निश्चित रूप से अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहेंगे यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय मुद्दों की तत्काल जांच करे और दूसरे ऋण को लेने हेतु बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे। समिति का यह भी मानना है कि उन्नयन के लिए सब्सिडी उन इकाइयों को भी दी जा सकती है जिन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित करते समय पीएमईजीपी के तहत लाभ नहीं उठाया है। समिति यह भी चाहती है कि जिन उद्यमों के ऋण निर्धारित अवधि के भीतर चुकाए गए हैं, उनका भौतिक सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि उन्हें दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा हो सके।

22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:-

"केवीआईसी द्वारा विशेष रूप से पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता की दूसरी मात्रा के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तर की बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राज्य स्तर की निगरानी समिति (एसएलएमसी) और अन्य समीक्षा बैठकों के दौरान वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी, मुद्रा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की दूसरी मात्रा प्राप्त करने हेतु आगे आने के लिए प्रेरित करें ।

योजना में सुधार करने और उचित संशोधनों के साथ अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसे जारी रखने हेतु प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रस्तावित संशोधनों में दूसरी वित्तीय सहायता हेतु ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण और सब्सिडी की दर को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि बैंक,जीएसटी और उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) रेजिस्ट्रेशन कराने, तीन वर्षों तक लगातार ऋण चुकाने वाले एवं तीन वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही किसी भी पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाई को पहले ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान पर विचार किए बिना पात्र सब्सिडी के साथ 1.00 करोड़ रुपये तक का दूसरा ऋण मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं।

जिन इकाइयों ने दूसरी सहायता के लिए पीएमईजीपी ऋण नहीं लिया है, उन्हें शामिल करने के संबंध में समिति की सिफारिशों के संबंध में निधि की उपलब्धता की शर्त पर यथासमय में जांच की जा सकती है।"

23. उपर्युक्त की गई कार्रवाई नोट की संवीक्षा करते समय लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-

(एक) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 160 लाभार्थियों को 13.52 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई और 2021-22 के दौरान (15.09.2021 तक) दूसरे ऋण के अधीन
134 लाभार्थियों को 12.57 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई। इस प्रकार यह पाया गया है कि दूसरे ऋण की स्वीकृति में वृद्धि हुई है।

(दो) पीएसी चाहती है कि जिन उद्यमों के ऋण निर्धारित अवधि के भीतर चुकाए गए हैं, उनके भौतिक सत्यापन को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें दूसरे ऋण हेतु आवेदन करने में सुविधा हो सके। मंत्रालय के उत्तर में इस संबंध में की-गई- कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है।

24. उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगे टिप्पणी करते हुए मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया कि: -

(एक) "वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 10.01.2022 तक, 18.69 करोड़ रुपये की एमएम सब्सिडी वितरित करते हुए 200 लाभार्थियों को दूसरी बार ऋण वितरित किया गया है।

(दो) केंद्रीकृत प्रणाली के तहत भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है मंत्रालय केवीआईसी से अनुरोध करेगा कि वह राज्य कार्यालयों को उन इकाइयों की पहचान करने का निर्देश दे, जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, ताकि ऐसी इकाइयों को दूसरा ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।"

25. समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि जिन उद्यमों के ऋण निर्धारित अवधि के भीतर चुकाए गए हैं, उनका भौतिक सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि उन्हें दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा हो सके।

समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और केवल यह बताया है कि केंद्रीकृत प्रणाली के तहत भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। इसके अलावा, मंत्रालय केवीआईसी से राज्य कार्यालयों को उन इकाइयों की पहचान करने का निर्देश देने का अनुरोध करेगा, जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है और सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, ताकि ऐसी इकाइयां दूसरा ऋण प्राप्त कर सकें। समिति का विचार है कि मंत्रालय ने इस दिशा में गंभीरता से पहल नहीं की है क्योंकि ऐसी इकाइयों की पहचान की प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हुई है जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है और सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। समिति इस बात पर जोर देती है कि समय पर अपने ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को सहायता की दूसरी किस्त तुरंत देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह बैंकों को ऐसे लाभार्थियों के विवरण को नियमित रूप से अग्रेषित करने और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश जारी करे ताकि वे आगे लाभ उठा सकें।

****

अध्याय - दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

टिप्पणी/सिफारिश

समिति पाती है कि पीएमईजीपी के अंतर्गत मंत्रालय से केवीआईसी-मुख्यालय, केवीआईसी -मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों से नोडल बैंक को निधियां अंतरित की गई थी,यद्यपि, इसके उपयोग के लिए कोई समरूपी मांग या तत्काल प्रयोजन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप बचत बैंक खातों में निधियां बेकार पड़ी रही। इस मामलें के समाधान हेतु, मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, सभी जिलों/राज्यों में विद्यमान 1100 नोडल बैंक खातों को बंद करते हुए एकल नोडल बैंक प्रणाली शुरू की गई है।मंत्रालय के अनुसार, देशभर के सभी वित्तीय बैंकों के लिए मार्जिन मनी संवितरण की नई व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही है, क्योंकि एकल नोडल बैंक सामान्यतः 24 घंटों के भीतर वित्तीय बैंकों को वैध मार्जिन मनी दावे का संवितरण करता है, जिससे निधियों की पार्किंग अवधि कम हो जाती है और बेहतर निगरानी की सुविधा सुकर होती है। समिति नोट करती है कि जुलाई, 2016 से चार वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन बैंक को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया था और इंडियन बैंक ने जुलाई, 2020 से नोडल बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। समिति नोट करती है कि जुलाई, 2016 से जून, 2020 तक कॉर्पोरेशन बैंक को कुल रु.6313 करोड़ की राशि जारी की गई थी और उसके द्वारा रु.6321 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि कॉर्पोरेशन बैंक ने दी की गई राशि से अधिक राशि जारी की थी । समिति इस संबंध में यह भी आशा करती है कि केवीआईसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच की थी कि केवीआईसी द्वारा संबंधित दावों के सत्यापन से पूर्व नोडल बैंक ने मार्जिन मनी जारी नहीं किया था।इसके अलावा, समिति नोट करती है कि इंडियन बैंक ने जुलाई, 2020 से 26.11.2020 तक रु.5808 करोड़ की मार्जिन मनी राशि प्राप्त की थी जिसमें से रु.5654 करोड़ राशि वित्तीय शाखाओं को वितरित की थी, जो रु.154 करोड़ के कम वितरण को इंगित करता है। समिति, डीएफएस के उत्तर से नोट करती है कि केवीआईसी से मार्जिन मनी की प्राप्ति और संबंधित बैंकों से उचित मांग प्राप्त होने पर लाभार्थियों को निधि जारी करने की पुष्टि के बीच अंतराल हो सकता है, जिससे नोडल बैंक के खाते में बकाया राशि जमा हो सकती है। समिति यह नोट करते हुए कि केवीआईसी द्वारा तीन कार्य दिवस के भीतर दावों की जांच और नोडल बैंक के पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना आवश्यक होता है, चाहती है कि केवीआईसी निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करें,ताकि यह सुनिश्चित हो

सके कि नोडल बैंक के खाते में लंबी अवधि तक निधि बकाया नहीं रखे रहे। समिति, डीएफएस द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह भी नोट करती है कि उपरोक्त उल्लिखित रु.154 करोड़ राशि में से, बैंकों के विलय और लाभार्थियों के अंतिम क्रेडिट विवरण पता लगाने में समस्या के कारण रु.23 करोड़ राशि का धीरे-धीरे वितरण किया जा रहा है। समिति, केवीआईसी को इस मामले पर तत्काल ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर देती है कि लाभार्थियों के नाम पर टीडीआर तुरंत बनाया जाएं,ताकि वे कम से कम तीन वर्ष तक व्यवसाय चलाने में रुचि बनाए रखें।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश क्रम संख्या 1]

की-गई-कार्रवाई

यह उल्लेख करना है कि 01 जुलाई, 2016 से सिंगल नोडल बैंक की शुरुआत के बाद, कॉर्पोरेशन बैंक ने 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 तक मार्जिन मनी (एमएम) के रूप में रु.6321 करोड़ की राशि जारी की है।

इसके बाद 01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक इंडियन बैंक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में रु.1995.22 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

कार्पोरेशन बैंक द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार,इकाई का काम नहीं करने, एनपीए खाता,आदि जैसे विभिन्न कारणों से नोडल बैंक को वित्तीय शाखाओं द्वारा वापस की गई मार्जिन मनी से रु.8.00 करोड़ की अतिरिक्त मार्जिन मनी जारी की गई है।

मार्जिन मनी वितरण के लिए नोडल बैंक को भेजे जाने से पूर्व वित्तीय शाखाओं से प्राप्त सभी दावों की जांच की जा रही है, सत्यापन और मान्य किया जा रहा है। अतः सब्सिडी राशि जारी करने से पूर्व पर्याप्त निगरानी और जांच की जाती है।

नोडल बैंक द्वारा मार्जिन मनी दावों को निपटान में विलंब से बचने के लिए, योजना के दिशानिर्देश के अनुसार दावों पर समय से कार्रवाई करने हेतु नोडल बैंक में मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि अग्रिम के रूप में रखी जाती है।

पीएमईजीपी योजना के दिशानिर्देशों और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल में किए गए प्रावधान के अनुसार,संबंधित वित्तीय बैंक शाखाओं को नोडल बैंक से मार्जिन मनी

प्राप्त होने के बाद उपयुक्त कॉलम में सावधि जमा रसीद(टीडीआर)की स्थिति अपलोड करनी होगी। पीएमईजीपी ई-पोर्टल के बैंक लॉगिन में पीएमईजीपी लाभार्थी के टीडीआर विवरण को अद्यतन करने का प्रावधान है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणी के पक्ष में सब्सिडी प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बैंकों द्वारा टीडीआर सृजित किया जाना होता है ।डीएफएस से टीडीआर सृजन के संबंध में योजना के दिशानिर्देशों के समय पर अनुपालन हेतु बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

एक. मंत्रालय ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा करोड़ 8 रुपये की अतिरिक्त मार्जिन मनी जारी की गई थी, जो विभिन्न कारणों जैसे इकाई-के काम नहीं करने, एनपीए खाता, आदि से नोडल बैंक को वित्तीय शाखाओं द्वारा निधियां वापस करने से हुआ था। इस संबंध में, यह देखा गया है कि ईकाई के काम न करने, एनपीए खाते आदि के कारण मार्जिन मनी रिफंड को नोडल बैंक द्वारा केवीआईसी को वापस करना आवश्यक होता है और इसलिए बैंक इन निधियों को पुनः स्वयं वितरित नहीं कर सकता है।

दो. एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल में सावधिक जमा रसीद की (टीडीआर) स्थिति अपलोड करने के लिए प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कई मामलों में स्थिति अपलोड नहीं की गई हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष के 19-2018 दौरान स्वीकृत 35 मामलों के (महाराष्ट्र-सांगली) सापेक्ष केवल दो मामलों के संबंध में टीडीआर संबंधी जानकारी अपलोड की गई हैं। अतः टीडीआर अपलोड करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

तीन. मंत्रालय ने वित्तीय शाखाओं को जुलाई,2020 से 26.11.2020 तक इंडियन बैंक द्वारा प्राप्त रु.154 करोड़ के वितरण या मार्जिन मनी स्थिति की जानकारी नहीं दी है।

<u>मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर</u>

मंत्रालय, लेखापरीक्षा की टिप्पणियों से सहमत है कि इकाइयों के काम न करने, विफल दावों आदि के कारण वित्तीय शाखाओं से रिफंड के रूप में नोडल बैंक में प्राप्त मार्जिन मनी सब्सिडी केवीआईसी को वापस की जानी चाहिए, जिसे केवीआईसी द्वारा अलग से रखा जाए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मार्जिन मनी निधि के रूप में नोडल बैंक

को अंतरित किया जाए। एक बार वित्तीय बैंक द्वारा मार्जिन मनी प्राप्त होने के बाद, उन्हें टीडीआर खाता खोलना होगा और मैन्युअल रूप से पोर्टल में टीडीआर विवरण अपलोड करना होगा। तथापि, इस बारे में वित्तीय बैंकों की प्रतिक्रिया धीमी है। बैंकरों के साथ समीक्षा बैठक में भी इस मामलें पर चर्चा की गई है। मंत्रालय, बैंकों के सीएमडी को भी पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि वे वित्तपोषित शाखाओं को पोर्टल पर टीडीआर विवरण शीघ्रता से अपलोड करने का निदेश दें।

समिति ने पाया कि इंडियन बैंक ने जुलाई, 2020 से 26.11.2020 तक, 5808 करोड़ रु. मार्जिन मनी प्राप्त किया, जिसमें से इसने 5654 करोड़ रु.वित्तीय शाखाओं को वितरित किया, जो 154 करोड़ रु.के कम वितरण को इंगित करता है। तथापि, इंडियन बैंक को मार्जिन मनी वितरण के लिए 01 जुलाई,2020 से नोडल बैंक नियुक्त किया गया था और इंडियन बैंक के माध्यम से उपरोक्त अवधि के दौरान अर्थात 01 जुलाई,2020 से 26.11.2020 तक 5654 करोड़ रु. के स्थान पर रु. 611.32 करोड़ वितरित किया गया था। (प्रतिलिपि संलग्न) इंडियन बैंक ने 01 जुलाई,2020 से 31 मार्च,2021 तक मात्र रु.1995.22 करोड़ राशि वितरित की है।

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; ओएम संख्या: पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021;

दिनांक: 18.01.2022)

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि आरईजीपी योजना 31 मार्च, 2008 को बंद कर दी गई थी और मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान पुराने आरईजीपी मार्जिन मनी दावों के निपटान हेतु केवीआईसी को रु.36.82 करोड़ राशि जारी की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त राशि में से रु.12.87 करोड़ राशि चार साल से अधिक समय तक अनुपयोगी रही। समिति, मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि केवीआईसी, मुख्यालय द्वारा 26 क्षेत्रीय कार्यालयों को पुराने दावों के निपटान हेतु रु.30.36 करोड़ की राशि जारी की गई थी, जिसमें से विभिन्न केवीआईसी के राज्य कार्यालयों ने रु.24.29 करोड़ की राशि का उपयोग करते हुए केवीआईसी,मुख्यालय को रु.6.07 करोड़ राशि वापस कर दी थी। समिति पाती है कि मंत्रालय ने केवीआईसी से कुल अव्ययित राशि

रु.12.53 करोड़ वापस करने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब प्रति मामलें के आधार पर दावों के निपटान के लिए केवीआईसी द्वारा आवश्यक निधि जारी की जाएगी। समिति यह नोट करते हुए कि आरईजीपी योजना को बंद हुए 12 वर्ष से अधिक हो गए हैं, एक दशक से अधिक समय से रु.12.53 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं करने के लिए मंत्रालय के लापरवाह रवैये पर निराशा व्यक्त करती है। समिति का विचार है कि मंत्रालय/केवीआईसी को लंबित कोर्ट मामलों में तेजी लाने/निपटान करने के लिए तत्काल कदम उठाने और जल्द-से-जल्द दावा निपटान की प्रक्रिया को पूरा कर समिति को इसकी जानकारी देने की आवश्यकता है।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)की टिप्पणियां/सिफारिश क्रम संख्या 2]

की-गई-कार्रवाई

आरईजीपी योजना वर्ष 2006-07 से बंद कर दी गई थी। आरईजीपी निधि की अव्ययित शेष रु.12.53 करोड़ की राशि को अगस्त, 2020 में एमएसएमई मंत्रालय को वापस कर दिया गया था। वर्तमान में, आरईजीपी योजना से संबंधित 66 मामले कोर्ट में लंबित हैं। केवीआईसी ने लंबित कोर्ट मामलें के शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश जारी किया है। कोर्ट के निर्णय के बाद, कोर्ट केस और मार्जिन मनी (एमएम) समायोजन का वर्ष-वार विवरण अनुबंध-एक में दिया गया है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

मंत्रालय ने न्यायालय के 40 मामलों और कोर्ट के फैसले के बाद,रु.22.83 लाख की राशि के मार्जिन मनी (एमएम) निपटान का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया है।(अनुबंध-एक) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह पाया गया कि आरईजीपी के 66 मामले लंबित हैं और वर्ष 2020-21 और 2021-22 (अगस्त 2021) के दौरान किसी भी मामले का निपटान नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों पर वित्त मंत्रालय का उत्तर

नए मामले दर्ज होते ही लंबित मामलों की स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है।

आरईजीपी और पीएमईजीपी के लंबित कोर्ट मामलों की वर्तमान स्थिति नीचे उल्लिखित है;

(दिनांक 10.01.2022 तक)

विवरण	दिनांक 01.04.2021 तक लंबित मामले	वर्ष के दौरान नए मामलें (+)	वर्ष के दौरान समायोजित मामलें (-)	दिनांक 10.01.2022 तक लंबित मामले
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी=ए+बी-सी)
आरईजीपी	66	2	0	68
पीएमईजीपी	66	17	0	83
कुल	**132**	**19**	**0**	**151**

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; ओएम संख्या: पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021;

दिनांक: 18.01.2022)

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि बैंकों ने मार्जिन मनी सहित कुल ऋण राशि पर ब्याज लगाया था, जिससे लाभार्थी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और सब्सिडी ऋण जैसी हो गई। समिति, लेखापरीक्षा अवलोकन संबंधी मंत्रालय के उत्तर से यह भी नोट करती है कि चूंकि मार्जिन मनी नोडल बैंक के पास रखी गई थी, वित्तीय बैंक ने कुछ मामलों में मार्जिन मनी पर ब्याज लगाया था, लेकिन नोडल बैंक से मार्जिन मनी प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों को लाभ देने के लिए बैंक प्रविष्टि पिछली तिथि से वापस की गई थी। समिति पाती है कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित अधिकांश मामलों में, आयोग को राशि वापस कर दी गई है, देना बैंक से संबंधित 05 मामलों और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 04 मामलों का अभी भी निपटान नहीं किया गया है। समिति चाहती है कि इन मामलों पर मंत्रालय/डीएफएस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाए और प्रविष्टियों को बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। समिति, मंत्रालय के उत्तर

से यह भी नोट करती है कि कि मौजूदा ऑनलाइन प्रणाली में ऐसे उल्लंघनों को रोकने हेतु जांच का प्रावधान है, क्योंकि सिस्टम स्वीकृत ऋण और स्वीकार्य सब्सिडी राशि कैप्चर करता है। तथापि, डीएफएस ने इस पर अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि केवीआईसी द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे उल्लंघनों को पता लगाने की सुविधा नहीं है। समिति चाहती है कि केवीआईसी, डीएफएस/बैंकों के समन्वय से यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी मजबूत प्रणाली विकसित करे कि अधिक ब्याज वसूल करने की ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। समिति ने पीएमईजीपी पोर्टल पर ब्याज कैलकुलेटर विकसित और उपलब्ध कराने की आवश्यकता व्यक्त की है, ताकि लाभार्थी स्वयं अपनी ब्याज देयता की गणना करने में सक्षम हो सके।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 3]

की-गई-कार्रवाई

देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मामले पहले ही निपटाए जा चुके हैं। वसूल और केवीआईसी को वापस की गई राशि का विवरण अनुबंध-दो में दिया गया है।

पीएमईजीपी योजना के दिशानिर्देश और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रावधानों के अनुसार, संबंधित वित्तीय बैंक शाखाओं को उपयुक्त कॉलम में टीडीआर की स्थिति अपलोड करनी होगी। डीएफएस से यह भी अनुरोध किया गया है कि टीडीआर के समय पर सृजन के संबंध में बैंकों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश जारी करें।

पोर्टल में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा जारी किस्तों की तिथि, ब्याज दर, सब्सिडी प्राप्त होने की तिथि और टीडीआर सृजन करने की तिथि को शामिल करने का भी प्रावधान है। इन विवरणों की उपलब्धता लाभार्थियों को यह जांचने में सक्षम बना सकती है कि बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जा रहा है और ऋण खाते के अंतिम समायोजन के समय किसी भी उल्लंघन में सुधार किया जा सकता है।

केवीआईसी से यह भी अनुरोध किया गया है कि बैंकों में ब्याज कैलकुलेटर विकसित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को उनके द्वारा देय ब्याज के बारे में पता चल सके।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

एक. कृपया तथ्यात्मक स्थिति बताएं।

दो. एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल में सावधिक जमा रसीद (टीडीआर) की स्थिति को अपलोड करने के लिए प्रावधान है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी मामलों में स्थिति संबंधी जानकारी अपलोड नहीं की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान स्वीकृत 35 मामलों (सांगली-महाराष्ट्र) की तुलना में केवल दो मामलों में टीडीआर अपलोड किए गए हैं। अतः टीडीआर अपलोड करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

तीन. लेखापरीक्षा ने पीएमईजीपी के ई-पोर्टल का सत्यापन किया और यह नोट किया है कि पोर्टल में बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर और भुगतान की गई दूसरी किस्त को भी केप्चर करने का प्रावधान नहीं है।

चार. पीएमईजीपी के ई-पोर्टल में पायी गई अन्य कमियाँ पीएमईजीपी लाभार्थी द्वारा बैंकों को ऋण चुकाने और पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों में संबंधित एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के दौरे के विवरण को शामिल नहीं किया जाना है।

पांच. लेखापरीक्षा द्वारा केवीआईसी से ने यह सुनिश्चित किया है कि ब्याज कैलकुलेटर बनाने के संबंध में मंत्रालय से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

छह. पीएसी के निदेश के अनुसार अधिक ब्याज से बचने और पीएमईजीपी पोर्टल पर ब्याज कैलकुलेटर विकसित और उपलब्ध कराने के लिए डीएफएस/बैंकों के साथ समन्वय में एक मजबूत कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई प्रत्युत्तर

एक और दो. एक बार वित्तीय बैंक द्वारा मार्जिन मनी प्राप्त हो जाने के बाद, उन्हें टीडीआर खाता खोलना होगा और मैन्युअल रूप से पोर्टल में टीडीआर विवरण अपलोड करना होगा। तथापि, इस संबंध में वित्तीय बैंकों की प्रतिक्रिया धीमी है। बैंकरों के साथ समीक्षा बैठक में भी इस मामलें पर चर्चा की गई है। मंत्रालय, बैंकों के सीएमडी को भी पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि वे वित्तपोषित शाखाओं को पोर्टल पर टीडीआर विवरण शीघ्रता से अपलोड करने का निदेश दें।

तीन. बैंक द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर और भुगतान की गई किस्त को पीएमईजीपी पोर्टल के बैंकर लॉग इन सेगमेंट में उपलब्ध कराया गया है। (स्क्रीन शॉट्स संलग्न है)

चार. ऋणों के पुनर्भुगतान का विवरण प्रत्येक बैंक की आंतरिक प्रणाली में उपलब्ध है। पीएमईजीपी ई-पोर्टल के साथ प्रत्येक बैंक की आंतरिक प्रणाली को एकीकृत करना मुश्किल होगा। सभी इकाईयों की जियो-टैगिंग शुरू कर दी गई है। इकाइयों की स्थिति के साथ इन इकाइयों का दौरा करने वाले अधिकारियों के दौरे की तिथि दर्ज की जाएगी।

पाँच. मंत्रालय ने दिनांक 23.08.2021 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ केवीआईसी से बैंकों के परामर्श से ब्याज कैलकुलेटर को शामिल करते हुए पोर्टल को अद्यतन करने का अनुरोध किया है।

छह. आवेदकों के लाभ के लिए ब्याज ईएमआई गणना/के उपकरण को अब पीएमईजीपी पोर्टल में शामिल किया गया है।

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; ओएम संख्या :पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021; दिनांक: 18.01.2022)

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया अध्याय-एक का पैरा सं.10 देखिए।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयों का भौतिक सत्यापन (पीवी) तीन वर्ष पूरे होने से पहले देय हो जाता है और केवीआईसी को आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से संचालित परियोजनाओं का पीवी प्राप्त करना होता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पीवी के संचालन में एक बड़ा बैकलॉग था,जिसके लिए अशांत क्षेत्र, एजेंसी के परिवर्तन और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निविदा के लिए खराब प्रतिक्रिया जैसे कारक जिम्मेदार थे । समिति ने मंत्रालय के उत्तर से नोट किया कि 2008-09 से 2014-15 तक स्थापित कुल 3,20,828 इकाइयों के मुकाबले 2,95,877 (92% से अधिक) इकाइयों का भौतिक सत्यापन आउटसोर्स की गई थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया गया है।

वर्ष 2015-16 में कुल 44,340 इकाइयों में से 22 राज्यों की 19,680 इकाइयों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के लिए, 7 राज्यों की 11,807 इकाइयों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। समिति यह जानकर निराश है कि दिसंबर 2017 में आयोजित पीएसी की बैठक के दौरान की गई वचनबद्धता के अनुसार, मंत्रालय 2013-14 तक सभी इकाइयों की स्थापना नहीं कर पाया, जिसका जून 2018 में भौतिक सत्यापन किया गया था। समिति मंत्रालय के उत्तर से आगे यह नोट करती है कि आउटसोर्स की गई एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि औसतन लगभग 80% पीएमईजीपी इकाइयां काम कर रही थीं और शेष या तो बंद थीं या पंजीकृत स्थान पर मौजूद नहीं पाई गईं। समिति का विचार है कि पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रवर्तित परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता का आकलन समय पर भौतिक सत्यापन करके ही किया जा सकता है।लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मार्जिन मनी को वापस मांगे जाने (कॉल बैक) की स्थिति में वसूली सुनिश्चित करने और ट्रैक करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं था।मंत्रालय/केवीआईसी के दुलमुल रवैये,क्योंकि उन्होंने इकाइयों के भौतिक सत्यापन के संचालन में भारी बैकलॉग की अनुमति दी, पर निराशा व्यक्त करते समय, समिति का मानना है कि समय पर कार्य से मंत्रालय/केवीआईसी को मार्जिन मनी फंड के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती और साथ ही उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए गैर-कार्यात्मक इकाइयों के इतने उच्च अनुपात के कारणों का विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी। समिति उन मामलों में वितरित मार्जिन मनी की वसूली सुनिश्चित करने और ट्रैक करने के लिए स्थापित प्रणाली से भी अवगत होना चाहती है, जहां इकाइयां गैर-कार्यात्मक पाई गईं, जिसमें इस प्रकार वसूल की गई राशि और वितरित की गई तथा अभी तक वसूल नहीं की गई मार्जिन राशि का विवरण भी हो। समिति आगे यह भी नोट करती है कि लाभार्थी के नाम पर टीडीआर खाते में मार्जिन मनी जमा की जाती है, जहां इसे 3 वर्ष के लिए रखा जाता है और भौतिक सत्यापन के पूरा होने के पश्चात, इसे लाभार्थी के खाते में जारी किया जाता है। इसलिए, समिति का मत है कि किसी भी परिस्थिति में भौतिक सत्यापन में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका लाभार्थी के ऋण खाते में वास्तविक जारी एमएम से सीधा संबंध है। समिति अनुशंसा करती है कि सभी शेष भौतिक सत्यापन को जल्द-से-जल्द और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और किसी भी देरी के मामले में भौतिक सत्यापन के संचालन के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। समिति इस बात से भी अवगत होना चाहती है कि बैंकों ने उन लाभार्थियों के ऋण खातों के साथ क्या किया है, जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपने ऋण का भुगतान किया है, लेकिन

भौतिक सत्यापन में देरी के कारण, उनकी मार्जिन मनी जारी नहीं की जा सकी। समिति नोट करती है कि भौतिक सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, गतिविधि को पीएमईजीपी निदेशालय के अंतर्गत केंद्रीकृत किया जा रहा है और केवीआईसी मुख्यालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालिक आधार पर एजेंसियों को नियुक्त करेगा।इसके अतिरिक्त, इकाइयों की पहचान और निगरानी के लिए पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग भी की जा रही है। समिति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकार करते हुए यह महसूस करती है कि किसी उद्यम की वित्तीय सुदृढ़ता को नियमित रूप से सत्यापित करने के लिए, केवीआईसी बैंकों के साथ गठजोड़ कर सकता है ताकि योजना के अंतर्गत प्रवर्तित परियोजना की स्थिरता का अंदाजा लगाने के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के संदर्भ में पीएमईजीपी परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर उनकी आवधिक यात्राओं के लिए उनके पोर्ट तक पहुंच प्राप्त हो सके। समिति का यह भी मत है कि पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रवर्तित परियोजनाओं की लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, उनके कार्य प्रदर्शन की निगरानी तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी की जाए।इससे संकटग्रस्त इकाइयों को समय पर सहायता मिलने और उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार करने तथा मंत्रालय को इकाइयों पर नज़र रखने; योजना के प्रभाव का आकलन करने; और अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के विस्तार को सक्षम करने के लिए योजना में और सुधार करने में मदद मिल सकती है।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 04]

की-गई-कार्रवाई

भौतिक सत्यापन के लंबित मामलों को कम करने के लिए, केवीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ भौतिक सत्यापन करने में प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। वर्ष 2015-16 तक स्थापित 370853 इकाइयों में से 323764 इकाइयों (87.30%) का सत्यापन किया जा चुका है, और 47089 इकाइयों का सत्यापन (12.69%) किया जाना शेष है। कोविड-19 महामारी के कारण लंबित इकाइयों के सत्यापन में देरी हुई है।

इकाइयों के भौतिक सत्यापन में तीव्रता लाने के लिए केवीआईसी ने पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया है। केवीआईसी ने 1 अप्रैल 2016 से वित्त पोषित पीएमईजीपी इकाइयों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से ही एक आउटसोर्स एजेंसी को नियुक्त किया है। चयनित पीवी एजेंसी ने पहले ही भौतिक सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है।

दिनांक 01.04.2016 से स्थापित सभी इकाइयों के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जाती है और इसका भौतिक सत्यापन विशिष्ट जीआईएस आधारित मोबाइल ऐप के डिजिटल मोड के माध्यम से किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए जियो-पोर्टल पर परिणाम को अधिग्रहित किया जाएगा। अब तक, डिजिटल मोड के माध्यम से 5500 भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। पीएमईजीपी पोर्टल पर इन इकाइयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की उपलब्धता से गैर-कार्यरत इकाइयों की पहचान और तदनुरूप मार्जिन मनी के कॉल बैक में सुविधा होगी।

वर्ष 2012-13 से 2020-21 के दौरान विभिन्न वित्तीय बैंकों से एमएम कॉल-बैक के रूप में रु. 336.30 करोड़ केवीआईसी द्वारा प्राप्त किया गया है। (वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट -III में संलग्न है।

तकनीकी विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ (सेवानिवृत्त बैंकर) और विपणन विशेषज्ञ पीएमईजीपी इकाइयों को उनकी स्थापना के तीन वर्ष पश्चात भी नियमित रूप से सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किए गए हैं।

केवीआईसी से नियमित अंतराल पर इकाइयों की भौतिक और वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए बैंकों के साथ समन्वय करने का भी अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ

सात. लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि यद्यपि पीएमईजीपी के ई-पोर्टल में भौतिक सत्यापन की स्थिति के लिए एक कॉलम है, परंतु इसे नियमित अंतराल पर अद्यतन नहीं किया जाता है और कॉलम रिक्त रहता है एवं इसलिए भौतिक सत्यापन की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है।

आठ. इसके अतिरिक्त ई पोर्टल में पीवी आयोजित करने की तिथि और पीवी स्थिति के बारे में कॉलम हैं, लेकिन इसे अपडेट नहीं किया गया है। पीवी रिपोर्ट को पीएमईजीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना बाकी है।

नौ. 01.04.2016 से स्थापित सभी इकाइयों का भौतिक सत्यापन एक विशेष जीआईएस-आधारित मोबाइल ऐप के डिजिटल मोड के माध्यम से किया जा रहा है। केवीआईसी ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की 134883 इकाइयों को सत्यापित करने के लिए मैसर्स जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आशय पत्र (1 मार्च 2021) जारी किया था। 07.10.2021 तक कुल 26847 इकाइयों का मैसर्स जेनेसिस द्वारा सत्यापन किया जा चुका है और 108036 इकाइयों का सत्यापन अभी बाकी है।

दस. मंत्रालय ने वित्तीय बैंकों से प्राप्त मार्जिन मनी कॉल बैक का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत

किया है। तथापि, पीएसी द्वारा वांछित अनुसार अभी तक वसूल की जाने वाली राशि का वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्यारह. लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि केवीआईसी ने तकनीकी, वित्तीय और विपणन विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2020), परंतु इस कदम को अभी पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर उन पीएमईजीपी इकाइयों का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है जिनके कार्य प्रदर्शन की निगरानी तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के पश्चात की गई थी।

बारह. मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर उन मामलों में बैंकों द्वारा ऋण खातों के व्यवहार के बारे में स्थिति नहीं बताता है जहां लाभार्थियों ने निर्धारित समय के भीतर अपने ऋण का भुगतान किया है, लेकिन भौतिक सत्यापन में देरी के कारण, पीएसी द्वारा वांछित के रूप में उनकी मार्जिन मनी जारी नहीं की जा सकी।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

सात. पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर, भौतिक सत्यापन का कॉलम अब सक्रिय हो गया है जो प्रत्येक चरण अर्थात भौतिक सत्यापन (पीवी) (पूर्ण/लंबित) के लिए आवंटित इकाइयों की कुल संख्या, इकाइयों (कार्यशील/गैर-कार्यशील/गैर-पता लगाने योग्य)की वर्तमान स्थिति, विभिन्न स्तर (स्तर-1/स्तर-2) पर अनुमोदित पीवी रिपोर्ट की स्थिति, कार्यान्वयन एजेंसी स्तर(केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी/कॉयर बोर्ड) पर स्थिति, बैंक स्तर (समायोजन/कॉल बैक)पर एमएम की स्थिति पर एक इकाई का पूरा विवरण दर्शा रहा है।

आठ. पोर्टल पर पीवी की तिथि का प्रावधान शामिल किया गया है और कार्यान्वयन एजेंसी स्तर,साथ ही अनुमोदन स्तरपर भौतिक सत्यापन की स्थिति ई-पोर्टल में उपलब्ध है। केवीआईसी को पोर्टल पर अपेक्षित विवरण अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

नौ मेसर्स जेनेसिस द्वारा पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग/मैपिंग की जा रही है। आज की तिथि के अनुसार, 54069 इकाइयों को पहले ही सत्यापित और पोर्टल पर मैप की जा चुकी है। प्रक्रिया जारी है, 2016-17 से सहायता प्राप्त सभी पीएमईजीपी इकाइयों को जियो-टैग किया जाएगा। केवीआईसी को जिओ-टैगिंग के माध्यम से लंबित पीवी को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

दस. विभिन्न वित्तीय बैंकों से एमएम कॉल बैक का विवरण एक ऑनलाइन भुगतान गेटवे के

माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो विशेष रूप से मनीकॉलबैक/रिटर्न बैक एमएम के लिए शुरू किया गया है। वित्तीय बैंकों से केवीआईसी द्वारा प्राप्त कॉल बैक एमएम का वर्ष-वार समेकित विवरण परिशिष्ट –एक में दिया गया है।

ग्यारह. तकनीकी, वित्तीय और विपणन विशेषज्ञों का उद्देश्य संभावित लाभार्थियों के साथ-साथ मौजूदा लाभार्थियों कोसहायता प्रदान करना है। उपरोक्त विशेषज्ञों का कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन संबंधित राज्य निदेशक द्वारा जाता है। वर्तमान में, 46 तकनीकी, विपणन, वित्तीय (सेवानिवृत्त बैंकर) विशेषज्ञ 21 राज्यों में कार्यरत हैं। चालू वित्त वर्ष में इन विशेषज्ञों ने लगभग 35180लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। इसमें योजना के अंतर्गत 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए वित्तपोषित 5245मौजूदा लाभार्थी शामिल हैं।

बारह. वर्ष 2016-17 से पहले सहायता प्राप्त इकाइयों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग पूरी कर ली गई है और मार्जिन मनी सब्सिडी को ऋण खातों में समायोजित कर दिया गया है। तथापि, 2015-16 तक स्थापित लगभग 30,000 इकाइयों का भौतिक सत्यापन अभी किया जाना है। ये या तो बंद हो गए हैं या इनका स्थान परिवर्तित हो गया है। इन इकाइयों की पहचान करने के लिए बैंकों के परामर्श से प्रयास किए जा रहे हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन इकाइयों के संबंध में जो स्थापित नहीं है,बैंकों में उपलब्ध एमएम सब्सिडी को वापस लिया जा रहा है।

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; का.ज्ञा.सं.पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021; दिनांक: 18.01.2022)

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया अध्याय-एक का पैरा सं.15 देखिए।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक स्वीकृतियों की धीमी गति को नोट करती है। इस संबंध में, समिति आगे पाती है कि वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान बैंक की स्वीकृति धीमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम तिमाही के दौरान स्वीकृतियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और निम्न गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को स्वीकृति मिल जाती है और इसके परिणामस्वरूप एनपीए की संख्या में वृद्धि होती है। समिति नोट करती है कि इस

संबंध में आरबीआई के निर्देशों के बावजूद कि बैंकों को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एमएसएमई क्षेत्र में ऋण आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना है, कुछ मामलों में ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में 3-4 महीने तक का समय लगा है। डीएफएस ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकता और परिस्थितियों के आधार पर ऋण की स्वीकृति में कभी-कभी 30 दिनों से अधिक समय लग सकता है। हालांकि, चूंकि टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में कमी को ईएएसई इंडेक्स पर बैंकों के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए एक पैरामीटर बना दिया गया है और प्रत्येक बैंक में ऋणों की प्रक्रिया और स्वीकृति के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ, टीएटी व्यवस्थित रूप से सुधार कर रहा है और आवेदनों की लंबितता में कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त, आवेदनों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए स्कोर कार्ड दृष्टिकोण के कार्यान्वयन, जैसा कि केवीआईसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने परिपत्र दिनांक 29.7.2020 द्वारा सलाह दी गई थी, से भी टीएटी में भविष्य में सुधार होना चाहिए। डीएफएस ने अपने उत्तर में यह भी प्रस्तुत किया है कि बैंक नियमित आधार पर शाखाओं को प्रचार और व्यापार प्रस्तावों को नियमित रूप से संशोधित करने, समर्पित केंद्रीकृत क्रेडिट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने, कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय आदि के लिए जागरूक कर रहे हैं। डीएफएस द्वारा लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का संज्ञान लेते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की कि बैंक अक्सर अपनी शाखाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी करें, विशेष रूप से वर्तमान समय में, क्योंकि पीएमईजीपी के अंतर्गत दी गई सहायता एमएसई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने/बनाए रखने में बड़ी मदद साबित हो सकती है। समिति यह भी चाहती है कि केवीआईसी एमओएमएसएमई 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की स्थिति के संबंध में नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करे तथा आवेदक को आवश्यक सहायता और हैंडहोल्डिंग प्रदान करने हेतु बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची के साथ केवीआईसी के ई-पोर्टल पर अपने नोडल अधिकारियों की सूची डाले।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 05]

की-गई-कार्रवाई

ऋण स्वीकृति की गति को बढ़ाने के लिए, आवेदनों के चयन में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डीएलटीएफसी) की भूमिका समाप्त कर दी गई है और इंडियन बैंकर्स

एसोसिएशन के परामर्श से एक स्कोर कार्ड प्रणाली शुरू की गई है।

2020-21 के दौरान, कोरोना महामारी के बावजूद 74415 लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी की 2188.80 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया जो योजना की शुरुआत के बाद से सर्वोच्च उपलब्धि है। बैंकों ने लगभग 1 लाख आवेदनों को मंजूरी दी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। बैंकों को अग्रेषित आवेदनों की अनुमोदन दर भी 2019-20 में 20% से बढ़कर 2020-21 के दौरान 25% हो गई है।

वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 15.08.2021 तक 22210 इकाइयों के लिए 700.62 करोड़ रुपये की एमएम सब्सिडी वितरित की गई है,जो पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि की तुलना में 110% अधिक है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि इस वित्त वर्ष में स्वीकृतियों के अनुमोदन में वृद्धि हुई है।

बैंकों के पास लंबे समय से लंबित मामलों को उजागर करने के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया गया है, ताकि ऐसे मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लिए जा सकें। मंत्रालय और केवीआईसी द्वारा बैंकों के साथ समीक्षा के दौरान विलंबित मामलों की निगरानी भी की जाती है।

मंत्रालय नियमित रूप से बैंकों में लंबित मामलों की स्थिति और आवेदनों को निपटाने में लगने वाले समय की भी समीक्षा कर रहा है। वित्तीय शाखाओं के पीएमईजीपी कार्य निष्पादन की निगरानी करने का अनुरोध करते हुए सीएमडी स्तरों पर नियमित पत्र भेजे जा रहें हैं। सचिव (एमएसएमई) द्वारा एक अ.शा. पत्र जारी किया गया है जिसमें सचिव (डीएफएस) से अनुरोध किया गया है कि वे आरबीआई के दिशानिर्देशों (अनुबंध चार में प्रति) के अनुसार बैंकों को 30 दिनों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेने के लिए जोर डालें। केवीआईसी और बैंकों के नोडल अधिकारियों,जो आवश्यकतानुसार आवेदकों की सहायता कर सकते हैं, की सूची पोर्टल पर डालने हेतु भी केवीआईसी से अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तीन. पीएमईजीपी के ई-पोर्टल पर कार्य निष्पादन संबंधी स्थिति रिपोर्ट (एमएस रिपोर्ट) दर्शाती है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (23.09.2021 तक) के लिए प्रक्रिया हेतु 53552, 91286 और 78954 आवेदन लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमईजीपी का ऑनलाइन ई पोर्टल लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने, बैंक को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि और ऋण स्वीकृति की तिथि जैसे कॉलम

को दर्शाता है। उसमे एक पृथक बैंक टिप्पणी कॉलम है, जिसमें बैंक डेटा प्रस्तुत कर सकता है जैसे कि परियोजना व्यवहार्य नहीं है, क्रेडिट से संबंधित पूर्व जानकारी उचित नहीं है आदि, परंतु ये विवरण आमतौर पर बैंकों द्वारा नहीं भरे जाते हैं। इस प्रकार, केवीआईसी को इस विलंब का कारण पता होना चाहिए, परंतु इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसलिए इस संबंध में प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

चार. लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि केवीआईसी ने अभी तक आवेदकों की सहायता के लिए केवीआईसी और बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की है।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

तीन. नोट किया गया। पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर, टिप्पणी के अनुसार निर्णय लेने के लिए वित्तीय बैंक हेतु ड्रॉपडाउन सिस्टम में कई टिप्पणियां जोड़ी गई हैं। केवीआईसी और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अस्वीकृति के कारणों की नियमित जांच की जाती है।

चार. पीएमईजीपी पोर्टल (स्क्रीन शॉट संलग्न) पर संपर्क सूची अनुभाग में प्रत्येक एजेंसी-केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल आईडी) पहले से ही उपलब्ध हैं।

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग ; का.ज्ञा.सं. पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021; दिनांक: 18.01.2022)

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया अध्याय-एक का पैरा सं.20 देखिए।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि बैंकों को अब सभी नए फ्लोटिंग दर ऋणों को एमएसई को बाह्य बेंचमार्क दर से जोड़ने के लिए अनिवार्य किया गया है और तदनुसार पीएमईजीपी ऋण भी अब बाह्य बेंचमार्क ऋण दर से जुड़े हुए हैं। तथापि, समिति नोट करती है कि बाह्य बेंचमार्क दर पर प्रसार का निर्णय मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार और उनके जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अभी भी बैंकों द्वारा किया जाना है। समिति ने यह देखते हुए कि यह कदम उठाने के लिए आरबीआई की मंशा यह सुनिश्चित करना था कि उधारकर्ताओं को हमेशा दर में कटौती का लाभ दिया जाए, डीएफएस / बैंकों से एक समान और न्यूनतम संभव ब्याज दरों को चार्ज करने का आग्रह

करें क्योंकि यह वर्तमान समय में और इस प्रकार भविष्य में एमएसएमई क्षेत्र में इकाइयों के लिए लंबे समय तक मददगार साबित होगा।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 06]

की-गई-कार्रवाई:

पीएमईजीपी लाभार्थियों से एक समान और न्यूनतम संभव ब्याज दर वसूलने के लिए बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ मामला डीएफएस के समक्ष उठाया गया है। इस संबंध में सचिव, एमएसएमई से सचिव डीएफएस को एक डी.ओ. पत्र (अनुबंध -चार में प्रति संलग्न) जारी किया गया है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तथ्यात्मक स्थिति।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

पीएमईजीपी पोर्टल के अनुसार, शीर्ष 20 वित्तीय बैंकों द्वारा लगायी गई ब्याज दर (आरओआई) इसके साथ संलग्न है।

बैंक	न्यूनतम (ब्याज दर)	अधिकतम(ब्याज दर)
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	7	14
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6	14.75
केनरा बैंक	6	14
पंजाब नेशनल बैंक	6.5	13
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6.8	13.25
बैंक ऑफ बड़ौदा	6.5	15
बैंक ऑफ इंडिया	6.85	13
इंडियन बैंक	7	13.5
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6.35	12
इंडियन ओवरसीज बैंक	6.81	12
जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक	10	10.7

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	8	12
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त	8	13
एलाक्वाई देहाती बैंक	10	13
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	9.5	13
यूको बैंक	7.2	13.5
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.9	10.8
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	10.5	12.5
पंजाब एंड सिंध बैंक	6.6	12.1
आईडीबीआई बैंक	7	14

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; का.ज्ञा.सं.पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021;

दिनांक: 18.01.2022)

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि आरबीआई के परिपत्र संख्या आरपीसीडी एसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.79/06.02.3112009-10 दिनांक 6 मई, 2010 के माध्यम से बैंकों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे रु.10 लाख तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा की मांग न करें। समिति ने डीएफएस के उत्तर से नोट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक निरीक्षणों और बैंकों द्वारा शाखाओं के आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा यादृच्छिक जांच और नियमित आधार पर क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के संवेदीकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आरबीआई के उक्त निर्देश नियमित रूप से समीक्षा बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में दोहराए जाते हैं जो डीएफएस समय-समय पर बैंकों के साथ आयोजित करता है, और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में भी जिसमें एक डीएफएस नामित शामिल होता है। समिति ने यह नोट करते हुए कि लाभार्थी एमएसई क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग करने वाले बैंकों से संबंधित पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं, यह राय व्यक्त की कि चूंकि यह आरबीआई के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए डीएफएस को उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। समिति यह भी चाहती है कि ऐसे मामलों को हमेशा आरबीआई/सीजीटीएमएसई बोर्ड (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज

बोर्ड) को भेजा जाए ताकि सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 7]

की-गई-कार्रवाई

इस संबंध में बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले को डीएफ़एस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में सचिव, एमएसएमई के अर्ध सरकारी पत्र (अनुबंध -चार में संलग्न प्रति) को,सचिव डीएफएस को प्रेषित किया दिया गया है।

भावी पीएमईजीपी आवेदकों के लिए हाल ही में शुरू किए गए फ्री प्री ईडीपी प्रशिक्षण में, संपार्श्विक प्रतिभूति पर आरबीआई के निर्देशों का विवरण जानकारी के लिए प्रदान किया जाएगा। पीएमईजीपी पोर्टल में आवेदकों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु अंतर्निहित तंत्र भी है। संपार्श्विक सुरक्षा संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर केवीआईसी इसके निवारण के लिए संबंधित बैंकों के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर सकता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों को सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

मंत्रालय की की गई कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तथ्यात्मक स्थिति।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

मंत्रालय इस मामले को वित्तीय सेवा विभाग के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत कर रहा है कि वे इस संबंध में बैंक को आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करें।

(एमएसएमई/पीएमईजीपी अनुभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या पीएमईजीपी/पीएसी/01/2021 दिनांक 18.01.2022)

टिप्पणी / सिफारिश

समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 (तीसरी तिमाही) तक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने पीएमईजीपी के अंतर्गत रु.10,169.27 करोड़ की राशि मंजूर की है, जबकि इस अवधि के दौरान, कुल रु.1537.53 करोड़ को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो 30 जून, 2020 को बढ़कर रु.1996 करोड़ (सकल एनपीए) हो गया। डीएफएस के अनुसार, बैंकों द्वारा यथा अभिज्ञात विभिन्न राज्यों में उच्च अनर्जक आस्तियों के कुछ सामान्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (बीएफएल) की कमी ,व्यापार विफलता, उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा, कौशल उन्नयन की आवश्यकता और बाढ़ आदि जैसे बाहरी कारक शामिल हैं। समिति चाहती है कि बैंकों द्वारा पहचाने गए प्रमुख कारणों, विशेष रूप से कौशल उन्नयन और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की कमी पर एमएसएमई द्वारा ध्यान दिया जाए और एनपीए को कम करने के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं।समिति ने यह नोट करते हुए कि जिला स्तर की कार्यबल समिति (डीएलटीएफसी) को समाप्त कर दिया गया है और केवीआईसी और अन्य 'आई ए' आवेदनों की सिफारिश कर रहे हैं, का विचार है कि केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी के तहत प्रस्तावित परियोजना के उचित मूल्यांकन के बाद ही आवेदनों को अनुमोदित किया जाना चाहिए और घटिया परियोजनाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी मामले में अंतिम तिमाही में अत्यधिक आवेदनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, समिति ने यह नोट करते हुए कि पीएमईजीपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, कुछ बैंक वर्ष 2014-15 तक एनपीए में एमएम को समायोजित कर रहे थे, एनपीए में बैंकवार मार्जिन मनी समायोजन और इसकी वसूली के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण से अवगत कराना चाहेंगे।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 8)]

की-गई-कार्रवाई

केवीआईसी ने मौजूदा इकाइयों को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी, वित्तीय और विपणन विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। ये विशेषज्ञ

पीएमईजीपी लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रख सकते हैं और इकाइयों की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, पीएमईजीपी इकाइयों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल आदि से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और इस प्रकार उनकी स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत गुणवत्ता प्रस्तावों का चयन करने के लिए, चयन प्रक्रिया को संशोधित किया गया है। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के परामर्श से एक स्कोर कार्ड मॉडल तैयार किया गया है, जो प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व अनुभव शैक्षणिक योग्यता, स्थानिक लाभ (कच्चे माल, श्रम, आदि की उपलब्धता), विपणन कनेक्ट आदि वाले आवेदकों को उच्च स्कोर देता है। केवल परिभाषित बेंचमार्क को पूरा करने वाले प्रस्तावों को ही बैंकों को अग्रेषित किया जाता है जो आगे प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हैं और परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं। परियोजनाओं के अनुमोदन से पूर्व कई स्तरों पर प्रस्तावों की जांच से स्थायी इकाइयों का चयन सुनिश्चित होगा।

चूंकि केवीआईसी की उपस्थिति केवल मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित है अतः केवीआईबी और डीआईसी भी भारतीय बैंकर्स एसोसिएशन के परामर्श से तैयार किए गए स्कोर कार्ड मॉडल के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर पीएमईजीपी के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कर रहे हैं। बैंक केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी द्वारा उन्हें भेजे गए प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन भी करते हैं ताकि उनकी व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। कई स्तरों पर जांच से पीएमईजीपी के तहत स्थापित अव्यवहार्य इकाइयों की संभावना कम हो जाती है।

वर्ष 2015 तक, पीएमईजीपी दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया था कि 'यदि लाभार्थी के नियंत्रण से परे कारणों से तीन साल की अवधि से पूर्व बैंक का अग्रिम खराब हो जाता है, तो उधारकर्ता की ऋण देयता को समाप्त करने के लिए बैंक द्वारा मार्जिन मनी (सब्सिडी) को आंशिक या पूर्ण रूप से समायोजित किया जाएगा। तथापि, वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा एमएम के समायोजन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और यदि कोई ऋण खराब हो जाता है या इकाई तीन वर्ष से पूर्व बंद हो जाती है तो एमएम सब्सिडी वापस ले ली जाती है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तथ्यात्मक स्थिति। वर्ष 2014-15 तक अनर्जक आस्तियों से संबंधित मार्जिन मनी के समायोजन और पीएसी द्वारा यथा वांछित वसूली के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को उत्तर में इंगित नहीं किया गया है।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

2016 से पूर्व, पीएमईजीपी योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया था कि "यदि लाभार्थी के नियंत्रण से परे कारणों के कारण **3** वर्ष की अवधि से पूर्व बैंक अग्रिम 'अशोध्य' हो जाता है, तो उधारकर्ता की ऋण देयता को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बैंक द्वारा एमएम सब्सिडी को समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार **2016** से पूर्व कॉल बैक के बहुत कम मामले हैं। ब्यौरा अनुबंध-दो में दिया गया है।

वर्ष **2015-16** तक संस्थापित लगभग **30,000** इकाइयों का भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है। इन्हें या तो बंद कर दिया गया है अथवा उनका स्थान बदल दिया गया है। इन इकाइयों की पहचान करने हेतु बैंकों के परामर्श से प्रयास किए जा रहे हैं और जहां भी आवश्यक हो, ऐसी इकाइयों के संबंध में बैंकों में उपलब्ध एमएम सब्सिडी को कॉल बैक किया जाए। मार्जिन मनी कॉल बैक/मार्जिन मनी रिटर्न का विवरण वर्तमान भौतिक सत्यापन पोर्टल पर उपलब्ध है।

(एमएसएमई मंत्रालय/ पीएमईजीपी अनुभाग; कार्यालय ज्ञापन सं. पीएमईजीपी/पीएसी/01//2021; दिनांक 18.01.2022)

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि सरकार ने पीएमईजीपी को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) से आगे भी जारी रखने हेतु अनुमोदन करते समय टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के मामले में अच्छा निष्पादन कर रही मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सब्सिडी के साथ दूसरे ऋण की प्रमात्रा को मंजूर करने का प्रावधान किया था। समिति ने नोट किया कि दूसरी बार वित्तीय सहायता के लिए प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है क्योंकि 2018-19 में केवल 22 लाभार्थियों ने दूसरा ऋण लिया, जबकि 2019-20 में 139 लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया था। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से नोट किया कि जागरूकता की कमी, पहले ऋण का पूरी तरह से भुगतान न किए जाने के कारण दूसरे ऋण

हेतु पात्र होने के लिए काफी समय अंतराल एवं दूसरे ऋण पर कम सब्सिडी दूसरे ऋण के कम लाभ के संभावित कारण हैं। समिति ने यह राय व्यक्त करते हुए कि सफल उद्यम निश्चित रूप से अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहेंगे , इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय मुद्दों की तत्काल जांच करे और दूसरे ऋण के ऑफ टेक के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे। समिति का यह भी मानना है कि उन्नयन के लिए सब्सिडी उन इकाइयों को भी दी जा सकती है जिन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित करते समय पीएमईजीपी के तहत लाभ नहीं उठाया है समिति यह भी चाहती है कि जिन उद्यमों के ऋण निर्धारित अवधि के भीतर चुकाए गए हैं, उनका भौतिक सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि उन्हें दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा हो सके।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणियां/सिफारिश संख्या 9)]

की-गई-कार्रवाई

केवीआईसी द्वारा विशेष रूप से पीएमईजीपी के तहत दूसरी बार वित्तीय सहायता के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और अन्य समीक्षा बैठकों के दौरान वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी, मुद्रा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता को दूसरी बार प्राप्त करने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करें।

योजना में सुधार करने और उचित संशोधनों के साथ अगले पांच वर्षों के लिए अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसे जारी रखने हेतु प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रस्तावित संशोधनों में दूसरी वित्तीय सहायता हेतु ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण और सब्सिडी की दर को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि बैंक तीन वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही किसी भी पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाई जिसके पास जीएसटी और उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पंजीकरण है, पहले ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान पर विचार किए बिना तीन वर्षों तक लगातार ऋण चुकाया हो, को पात्र सब्सिडी के साथ 1.00 करोड़ रुपये तक का दूसरा ऋण मंजूर करने पर विचार कर सकते हैं।

जिन इकाइयों ने दूसरी सहायता के लिए पीएमईजीपी ऋण नहीं लिया है, उन्हें शामिल करने के संबंध में समिति की सिफारिशों की निधियों की उपलब्धता की शर्त पर यथासमय जांच की जा सकती है।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तीन. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 160 लाभार्थियों को रु.13.52 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित की गई और 2021-22 के दौरान (15.09.2021 तक) दूसरे ऋण के रूप में 134 लाभार्थियों को रु.12.57 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित की गई। इस प्रकार यह पाया गया है कि दूसरे ऋण की स्वीकृति में वृद्धि हुई है।

चार. लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि जिन उद्यमों के ऋण निर्धारित अवधि के भीतर चुकाए गए हैं, उनके भौतिक सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएं ताकि उन्हें दूसरे ऋण हेतु आवेदन करने में सुविधा हो सके। मंत्रालय के उत्तर में इस संबंध में की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

तीन. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 10.01.2022 तक, रु.18.69 करोड़ की एमएम सब्सिडी वितरित करते हुए 200 लाभार्थियों को दूसरी बार ऋण वितरित किया गया है।

चार. केंद्रीकृत प्रणाली के तहत भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। मंत्रालय केवीआईसी से अनुरोध करेगा कि वह राज्य कार्यालयों को उन इकाइयों की पहचान करने का निर्देश दे, जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, ताकि ऐसी इकाइयों को दूसरा ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(एमएसएमई मंत्रालय/ पीएमईजीपी अनुभाग; कार्यालय ज्ञापन सं. पीएमईजीपी/पीएसी/01//2021; दिनांक 18.01.2022)

<u>समिति की टिप्पणियां</u>

कृपया अध्याय-एक का पैरा सं.25 देखिए।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम की बहुस्तरीय निगरानी और समीक्षा की व्यवस्था की गई है, जैसे कि (एक) राज्य स्तर (प्रमुख सचिव (उद्योग) और आयुक्तों की अध्यक्षता में); (दो) मंत्रालय स्तर (माननीय मंत्री के सचिव, एमएसएमई मंत्रालयकी अध्यक्षता में); (तीन) राष्ट्रीय स्तर (अध्यक्ष, केवीआईसी की अध्यक्षता में) (चार) अंचल स्तर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी की अध्यक्षता में); तथा (पांच) जिला स्तरीय सलाहकार समिति (माननीय संसद सदस्य, लोक सभा की अध्यक्षता में)। इस संबंध में, समिति नोट करती है कि एमएसएमई मंत्रालय ने जून 2015 में संसद के सभी सदस्यों को मौजूदा जिला स्तरीय सलाहकार समिति और पीएमईजीपीके कार्यान्वयन में इसकी भूमिका से अवगत कराते हुए पत्र लिखा था, और संबंधित जिला कलेक्टरों/डीएम के परामर्श से उनकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया था।हालांकि, वास्तव में ऐसी बहुत कम बैठकें हुई हैं। समिति का विचार है कि उक्त पत्र वर्ष 2015 में जारी किया गया था, अर्थात पिछली लोकसभा की अवधि के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय को 17वीं लोकसभा के सदस्यों को एक सलाहकार समिति के प्रावधान, उसकी शक्तियों और उसके जनादेश से अवगत कराना चाहिए,और पीएमईजीपी के तहत हुई प्रगति का आकलन करने के लिए समय-समय पर होने वाली बैठकों पर जोर देना चाहिए।समिति का यह भी मत है कि प्रमुख कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय को जिला स्तरीय सलाहकार समिति के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर पीएमईजीपी के प्रदर्शन की प्रभावी ढंग से समीक्षा की जा सके।

[लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणी/सिफारिश संख्या 10)]

की-गई-कार्रवाई

एमएसएमई मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 में पीएमईजीपी की उचित निगरानी हेतु प्रत्येक जिले के लिए लोकसभा के माननीय सांसद की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया था।

जून 2015 में, मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्यों (लोकसभा/राज्य सभा) को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्हें मौजूदा जिला स्तरीय सलाहकार समिति और पीएमईजीपी के

कार्यान्वयन में इसकी भूमिका से अवगत कराया गया था।उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे संबंधित जिला कलेक्टरों/डीएम के परामर्श से उनकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक बुलाएं। हालांकि, माननीय सांसदों के साथ-साथ जिला कलेक्टरों के बहुत व्यस्त कार्यक्रम के कारण, एक ही योजना के लिए ऐसी बैठकों की व्यवस्था करना मुश्किल था। इसलिए, वास्तव में ऐसी बहुत कम बैठकें आयोजित हुई थीं।

वर्ष 2016-17 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का गठन किया और दिशा डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो सभी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिएविभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अपने संबंधित जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला एक डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। पीएमईजीपी योजना भी दिशाडैशबोर्ड में शामिल है। इस प्रकार, माननीय सांसद की अध्यक्षता वाली दिशा समिति द्वारा चर्चा के दौरान पीएमईजीपी योजना पर भी विचार किया जा सकता है। केवीआईसी राज्य निदेशालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों/जिलों में दिशा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लें और माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करें।

इसके अलावा, केवीआईसी से यह भी अनुरोध किया गया है कि सभी राज्य निदेशकों को माननीय सांसदों को जिला स्तरीय सलाहकार समिति और दिशा के बारे में भी अवगत कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि सांसद योजना की निगरानी कर सकें।

मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तथ्यात्मक और कोई टिप्पणी नहीं।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं।

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; कार्यालय ज्ञापन सं. पीएमईजीपी/पीएसी/01//2021; दिनांक 18.01.2022)

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुडगांव द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, पीएमईजीपी पिछले प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 4-5

लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम रहा है; जिसमें प्रति परियोजना औसत रोजगार 7.62 व्यक्ति है, और प्रति इकाई रोजगार पैदा करने की औसत लागत रु.96,209/- है।इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16 में इकाइयों की स्थापना की संख्या 44,340 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 66,653 हो गई है, और अनुमानित रोजगार भी वर्ष 2015-16 में 3,23,362 से 5,33,224 तक बढ़ गया है। समिति नोट करती है कि समय के साथ अपने अनुभव और, पीएमईजीपी अनुप्रयोगों के अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार कारकों से सीखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय ने बड़े बदलाव प्रस्तुत किए, जैसे वित्तीय बैंकों को प्रस्ताव/आवेदनों की सिफारिश के लिए डीएलएफटीसी की भूमिका को समाप्त करना, और साथ ही आवेदन प्रसंस्करण के लिए स्कोर कार्ड मॉडल की शुरूआत करना; अक्टूबर, 2019 से ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल की शुरूआत करना; इकाइयों की पहचान और निगरानी के लिए पीएमईजीपी इकाइयों की जियोटैगिंग करना; और चैंपियंस पोर्टल नामक शिकायत निवारण मंच का शुभारंभ करना। समिति यह भी नोट करती है कि पीएमईजीपी लाभार्थी पूरी तरह से गारंटीकृत संपार्श्विक मुक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत कवर किए गए हैं, जो उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में अपने बकाया ऋण (29.2.2020 को) का 20% तक लाभ उठाने की अनुमति देता है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऋण संबंधी निर्णयों में तेजी लाएं और लाभार्थियों को दिए गए ऋणों पर न्यूनतम संभव दर पर एक समान ब्याज दर वसूलें और पोर्टल के माध्यम से और भौतिक सत्यापन के दौरान इसकी समीक्षा करें। समिति ने पीएमईजीपी ऋण आवेदनों के तेजी से प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को स्वीकार करते हुए राय दी है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। समिति का यह भी मानना है कि आम लोगों के कल्याण के लिए शुरू किए गए सरकार के कार्यक्रम/योजनाएं/पहल सरल और प्रभावी तरीके से उन तक पहुंचनें चाहिएं और इच्छा व्यक्त की कि नियमित रूप से किए जाने वाले उन्नयन कार्यक्रम, नए नियमों, कानूनों, तकनीक आदि के बारे में जानकारी का प्रसार नियमित रूप से किया जाना चाहिए, सफलता की कहानियों को प्रसारित या दिखाया जा सकता है और जागरूकता अभियान / फॉर्म / ईडीपी कार्यक्रम की पहुंच को अधिकतम करने के लिए इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समिति की यह भी इच्छा है कि पीएमईजीपी के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए लाभार्थियों को समय पर ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जा सकती है; सभी मेट्रो शहरों और राज्यों

की राजधानियों में संभावित उद्यमियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क/छोटे कॉल सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। पीएमईजीपी लाभार्थियों को प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करके उद्यमशीलता सलाहकार सहायता प्रदान की जा सकती है और योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रबंधन प्रशिक्षुओं को भी शामिल किया जा सकता है; अधिकतम ऋण राशि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है; परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाजार, लेखा प्रणाली, करों आदि की जटिलताओं को समझने में मदद करने के लिए नए उद्यमियों को नियमित और आवधिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है; सरकार द्वारा अपेक्षित अवसंरचना के साथ औद्योगिक क्षेत्र/जोन की स्थापना की जा सकती है जहां सभी आवश्यक अनुमतियाँ एक ही जगह प्राप्त की जा सकें ; इकाइयों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों को करंट अकाउंट खोलने पर जोर दिया जा सकता है; आम जनता को शिकायत निवारण मंच के बारे में सूचित करने के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं; शिकायतों का समयबद्ध निवारण किया जा सकता है; दूरदराज, पहाड़ी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए ऑफ़लाइन प्रशिक्षण सुविधा का प्रावधान किया जा सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है।समिति का विचार है कि इस योजना को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है और रोजगार के अवसरों के विस्तार में मदद करने वाली गतिविधियों को शामिल करने के लिए नकारात्मक सूची के तहत रखी गई मदों की फिर से जांच करके कार्यक्रम के दायरे का विस्तार किया जा सकता है। समिति आगे नोट करती कि मेसर्स डेलॉयट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) मूल्यांकन के माध्यम से योजना में उचित संशोधन शीघ्र ही किया जाएगा, जिसमें पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर मध्यम और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) का एकीकरण शामिल है। समिति चाहती है कि उसे ईएफसी द्वारा किए गए मूल्यांकन और उस पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे से अवगत कराया जाए।

(लोक लेखा समिति के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) की टिप्पणी/सिफारिश संख्या 11)

की-गई-कार्रवाई

योजना के सुधार के बारे में दिए गए सुझावों को वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज (बीएफएल) घटक के अंतर्गत पीएमईजीपी कार्य योजना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। उठाए जा रहे प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

एक. केवीआईसी को पीएमईजीपी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी कॉलेजों, प्रशिक्षण केंद्रों, आईटीआई, कौशल संस्थानों आदि के छात्रों तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है ।

दो. सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों आईटीआई, कौशल संस्थानों आदि के लिए योजना शुरू करने के लिए पीएमईजीपी योजना पर एक लघु वीडियो तैयार किया गया है।

तीन. पीएमईजीपी लाभार्थियों के लिए व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित क (बीएफसी)रने का भी प्रस्ताव है जो पीएमईजीपी उम्मीदवारों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए और मौजूदा पीएमईजीपी उद्यमियों को उनकी इकाइयों के आगे विकास के लिए सभी आवश्यक प्रारंभिक सहायता प्रदान करेगा।

चार. ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रसार के लिए अनुसंधान एवं विकास, पंचायती राज जैसे अन्य मंत्रालयों के माध्यम से कंवर्जेंस की जांच की जा रही है।

पाँच. केवीआईसी द्वारा तकनीकी, वित्तीय और विपणन विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि इकाइयों की स्थापना के तीन वर्ष बाद भी उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सके।

योजना को जारी रखने हेतु ईएफसी में प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैं:

एक. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीएफडीसी), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) आदि जैसी अधिक कार्यान्वयी अभिकरणों का नामांकन।

दो. विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत को मौजूदा रु 25.लाख से बढ़ाकर रु 50.लाख करना और सेवा इकाइयों के लिए मौजूदा रु 10 .लाख से बढ़ाकर रु 20 .लाख करना।

तीन. विशेष श्रेणी के आवेदकों को दूसरे ऋण हेतु सब्सिडी की दर को मौजूदा %15से बढ़ाकर %25करना।

चार. ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को संशोधित करना अर्थात इसमें **50,000** व्यक्तियों तक को शामिल करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सब्सिडी वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा सके।

पांच. सभी कार्यान्वयी अभिकरणों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देना।

छह. पीएमईजीपी के तहत दूसरे ऋण की प्रक्रिया में सरलीकरण, जिससे 3 वर्षों के लिए सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमी आवेदन करने के पात्र हैं।

सात. मत्स्य पालन और डेयरी गतिविधियों को शामिल करने के लिए गतिविधियों की नकारात्मक सूची में संशोधन।

आठ. 3 वर्ष से अधिक समय तक प्रारंभिक सहायता का प्रावधान-सभी लाभार्थियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

नौ. सभी इच्छुक आवेदकों के लिए निःशुल्क प्री- ईडीपी

दस. संभावनाजन्य जिलों के पीएमईजीपी आवेदकों और ट्रांसजेंडर को भी विशेष श्रेणी के आवेदकों के रूप में माना जा सकता है।

लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

तथ्यात्मक स्थिति।

मंत्रालय का अद्यतन की-गई-कार्रवाई उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं।

(एमएसएमई मंत्रालय/पीएमईजीपी अनुभाग; कार्यालय ज्ञापन सं. पीएमईजीपी/पीएसी/01//2021; दिनांक 18.01.2022)

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए है तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

शून्य

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं/कोई उत्तर नहीं दिए हैं

शून्य

नई दिल्ली;
दिसंबर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अनुबंध-एक

वर्ष 2016 के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त धन-वापसी (रिफ़ंड)

क्रम सं.	वर्ष	राशि(रु.करोड़ में)
1.	2016-17	232.39
2.	2017-18	52.70
3.	2018-19	9.69
4.	2019-20	32.68
5.	2020-21	6.67
	कुल	334.13

अनुबंध-दो

वर्ष 2016 से पहले केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त धन-वापसी (रिफ़ंड)

क्रम सं.	वर्ष	राशि (रु.करोड़ में)
1.	2011-12	7.18
2.	2012-13	2.83
3.	2013-14	0.00
4.	2014-15	0.00
5.	2015-16	1.86
	कुल	**11.87**

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 5)

लोक लेखा समिति के 106वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	11
(दो)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है :	कुल: 11
	पैरा सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 और 11	प्रतिशत: 100
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों	कुल: 0
	को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:	प्रतिशत: 0
	पैरा सं. - शून्य	
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर	कुल: 0
	समिति द्वारा स्वीकार नहीं किये गए हैं तथा	प्रतिशत: 0
	जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है :	
	पैरा सं. - शून्य	
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में	कुल: 0
	सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं/कोई उत्तर नहीं दिए है:	प्रतिशत: 0
	पैरा सं. - शून्य	